भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/03/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 14.11.2025

अधिसूचना

प्रारंभिक जांच परिणाम

मामला सं.-एडी (ओआई) -03/2025

विषय: ऑस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो ऐश मेटालर्जिकल कोक" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राथमिम जांच परिणाम।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. इंडियन मेटालर्जिकल कोक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ('आईएमसीओएम') (जिसे आगे "आवेदक" या "आवेदक एसोसिएशन" भी कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष, समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995, (जिसे यहां आगे "नियमावली" या "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया, चीन जन.गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "लो ऐश मेटालर्जिकल कोक" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद " या "संबद्ध सामान " भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश

करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 मार्च 2025 की अधिसूचना सं. 6/03/2025-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को इस पाटनरोधी आवेदन-पत्र प्राप्त होने की सूचना दी।

ii. प्राधिकारी ने 29 मार्च 2025 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई, जिसमें संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई।

iii. प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की एक प्रति प्रश्नावली के साथ भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य घरेलू उत्पादकों को आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पतों पर भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराई।

v. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

vi. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावलियां भेजी:

1. ए टी ग्लोबल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
2. ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड
3. बल्क ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

4. चाइना रिसुन ग्रुप (हांगकांग) लिमिटेड
5. ग्लोबल रिसोर्सेज ग्रुप (जीआरजी) लिमिटेड
6. हार्ग्रीव्स रॉ मटेरियल सर्विसेज जीएमबीएच
7. हांगकांग ग्लोबल फेयर ट्रेड कंपनी लिमिटेड
8. हांगकांग पु तियान इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
9. आईएमआर मेटलर्जिकल रिसोर्सेज एजी
10. इंडो इंटरनेशनल ट्रेडिंग एफजेडसी
11. इनोवेशन वर्ल्डवाइड डीएमसीसी
12. जैकोबी कार्बन्स एजी
13. जिनान कोसेव न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
14. लिन्यी ट्रेड सिटी यिकाईटोंग सप्लाई चेन कंपनी लिमिटेड
15. मेरिडियन ग्लोबल रिसोर्सेज (हांगकांग) लिमिटेड
16. मेटल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
17. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन
18. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड
19. निंग्ज़िया एक्टेक उद्योग निगम
20. निंग्ज़िया हुआहुई एक्टिवेटेड कार्बन कंपनी लिमिटेड
21. निंग्ज़िया हुआहुई पर्यावरण प्रौद्योगिकी कंपनी लिमिटेड
22. निप्पॉन स्टील ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
23. नोबेल रिसोर्सेज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
24. नोरेकॉम डीएमसीसी
25. न्यूमेन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
26. न्यूमेरको लिमिटेड
27. प्रॉसपेरिटी डेवलपमेंट एंटरप्राइज
28. शानक्सी जेनिथ आई ई कंपनी लिमिटेड

29. शाहे जी जिन पेट्रोलियम कोक ट्रेड कंपनी लिमिटेड

30. शेडोंग गंगडा इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

31. सिएरा ब्लैंका ग्रुप एसएएस

32. सिनोमेट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन

33. थिसेनक्रुप मैटेरियल्स ट्रेडिंग एशिया प्राइवेट लिमिटेड

34. ट्रैफिगुरा प्राइवेट लिमिटेड

35. ट्रैफुगुरा प्राइवेट लिमिटेड

36. यूजीएम ग्रुप लिमिटेड

37. वीज़ा कमोडिटीज़ एजी

38. विटेलिया ट्रेड लिमिटेड

39. वर्ल्ड मेटल्स एंड अलॉयज़ (एफज़ेडसी)

40. येउंग ताई एनवायरनमेंटल इंडस्ट्रियल (एचके) कंपनी लिमिटेड

41. ज़ूपिंग जिंगगुआंग कोक ट्रेडिंग कंपनी

vii. प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने दिया।

1. ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड

2. चाइना रिसुन ग्रुप (हांगकांग) लिमिटेड, हांगकांग

3. हांगकांग जिनटेंग डेवलपमेंट लिमिटेड

4. मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन, जापान

5. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन RTM जापान लिमिटेड

6. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया

7. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया

8. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया

9. रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड

10. रिसुन मैटेरियल्स कंपनी, लिमिटेड (जापान)

11. रिसुन वेईशान इंजीनियरिंग (हेनान) लिमिटेड, चीन

viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामान के ज्ञात आयातको/प्रयोक्ताओं को आयातक और प्रयोक्ता प्रश्नावलियां भेजीं। ऐसे आयातकों और प्रयोक्ताओं की एक सूची अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।

ix. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा जारी आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर देकर इस जांच में भाग लिया है।

1. आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2. मुकुंद लिमिटेड
3. नियो मेटालिक्स लिमिटेड
4. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
5. एसएलआर मेटालिक्स लिमिटेड

x. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। निम्नलिखित पक्षकारों ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।

1. घरेलू उद्योग
2. अलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ("एएसपीए")
3. ओडिशा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4. रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड
5. आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड
7. एसएलआर मेटालिक्स लिमिटेड
8. मुकुंद लिमिटेड
9. मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन
10. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड

xi. इसके अतिरिक्त, जांच के दौरान निम्नलिखित पक्षकारों ने भी अनुरोध दायर किए थे।

1. नरसिंह इस्पात लिमिटेड

2. बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड

3. पुरुलिया मेटल कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड

xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करें।

xiii. प्राधिकारी ने 22 मई 2025 को एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियों पर चर्चा करने और स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोध के आधार पर, प्राधिकारी ने 7 जुलाई 2025 की अधिसूचना के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया।

xiv. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

xv. डीजी सिस्टम से पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेनदेन-वार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने लेनदेनों की उचित जांच के बाद आयात की मात्रा की गणना और उसके विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर भरोसा किया है।

xvi. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की इष्टम उत्पादन लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर किया गया है, जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध ।।। के अनुसार निकाला गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वर्तमान अंतरिम

पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xvii. वर्तमान पाटनरोधी जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 (12 महीने) है। क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि मानी गई है।

xviii. इस जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर, साक्ष्य के साथ समर्थित की सीमा तक और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक, इन प्राथमिक जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

xix. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने इस जांच के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार कर दिया है या नहीं दी है, या जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ने ऐसे हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।

xx. इस प्राथमिक जांच परिणाम में '***' गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी सूचना दर्शाते हैं।

xxi. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएसडॉ. = 84.27 रु. है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. इस जांच की शुरुआत में, विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र इस प्रकार माना गया था:

> *"लो ऐश मेटालर्जिकल कोक, यानी 18% से कम ऐश कंटेंट वाला मेटालर्जिकल कोक, जिसमें 0.030% तक फॉस्फोरस कंटेंट वाला अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटालर्जिकल कोक शामिल नहीं है, जिसका आकार 30 एमएम तक हो और 5% आकार टॉलरेंस हो, जिसका इस्तेमाल फेरोअलॉय बनाने में होता है। मेटालर्जिकल कोक का इस्तेमाल उन उद्योगों में प्राइमरी फ्यूल के तौर पर किया जाता है, जहाँ भट्टियों या फर्नेस में एक जैसा और ज़्यादा तापमान चाहिए होता है, जैसे पिग आयरन, फाउंड्री, फेरो अलॉय, केमिकल प्लांट और स्टील प्लांट के उत्पादन में।"*

ग.1 *अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध*

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि इसमें 18% से कम राख सामग्री और 30 एमएम तक कण आकार (5% सहनशीलता के साथ) वाला एलएएम कोक शामिल है। विचाराधीन उत्पाद में अल्ट्रा-लो फास्फोरस कोक (≤0.030% पी) शामिल नहीं है। विचाराधीन उत्पाद केवल फेरो-मिश्र धातु निर्माण के लिए अभिप्रेत एलएएम कोक तक ही सीमित है।

ii. घरेलू उद्योग 12% तक राख सामग्री वाला मेट कोक का निर्माण नहीं करता है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।

iii. चूंकि घरेलू उद्योग 0.030% तक फास्फोरस सामग्री वाला अल्ट्रा-लो फास्फोरस कोक का निर्माण नहीं करता है, इसलिए इसे आकार या उद्योग की परवाह किए बिना बाहर रखा जाना चाहिए।

iv. कोक फाइन और ब्रीज़ को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन अलग से नहीं किया जाता है और यह एक उप-उत्पाद है। प्राधिकारी ने रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) जांच में कोक फाइन और कोक ब्रीज़ को बाहर रखा था।

v. प्राधिकारी यह जांचने के लिए घरेलू उद्योग के बिक्री रजिस्टर का सत्यापन कर सकता है कि क्या जिन ग्रेडों के लिए बाहर करने का अनुरोध किया गया है, उन्हें घरेलू उद्योग द्वारा वाणिज्यिक मात्राओं में बेचा गया है।

vi. जबकि निर्यातक ने विशेष रूप से कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए 10-50 एमएम आकार वितरण वाला मेट कोक निर्यात किया है, घरेलू उद्योग इसका उत्पादन नहीं करता है। तदनुसार, कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए मेट कोक को बाहर रखा जाना चाहिए।

vii. नट कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग किए जाने वाले लंप कोक से अलग है। नट कोक भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता है।

viii. छोटे लंप कोक को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह उच्च कोक स्ट्रेंथ आफ्टर रिडक्शन ("सीएसआर") और कम कोक रिएक्टिविटी इंडेक्स ("सीआरआई") वाला एक उप-उत्पाद है। ये मापदंड ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए आवश्यक हैं।

ix. लंप कोक को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका उपयोग विशेष रूप से ब्लास्ट फर्नेस स्टीलमेकिंग के लिए किया जाता है और इसमें बहुत उच्च गुणवत्ता वाले गुण होते हैं।

x. 30-50 एमएम आकार वाले मेट कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।

xi. निप्पॉन कोक के ब्लास्ट फर्नेस के लिए लंपी कोक के ग्रेड में हाई स्ट्रेंथ मेटालर्जिकल कोक शामिल है, जिसका माइकम इंडेक्स ज़्यादा होता है और सीआरआई को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है।

xii. नरसिंह इस्पात लिमिटेड ("एनआईएल") पिग आयरन के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में 20-40 एमएम लो ऐश मेटालर्जिकल कोक का उपयोग करता है और वर्तमान जांच से सीधे प्रभावित होता है। इसलिए, इसे वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए।

xiii. एनआईएल के पास 100 क्यूबिक मीटर से कम क्षमता वाले मिनी ब्लास्ट फर्नेस हैं जो तकनीकी बाधाओं के कारण स्टैंडर्ड कोक आकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। भारत में माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग एनआईएल, बालमुकुंद स्पंज एंड आयरन प्राइवेट लिमिटेड और पुरुलिया मेटल कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है।

xiv. एनआईएल ने 2023-24 में घरेलू निर्माताओं से, सीधे आयात करके और भारत में व्यापारियों के माध्यम से मेट कोक खरीदा है।

xv. 20-40 एमएम आकार के लो ऐश मेटालर्जिकल कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि घरेलू निर्माता भारत में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन नहीं करते हैं। उक्त उत्पाद केवल एक उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित होता है।

xvi. भारत में संबद्ध सामान की कुल मांग का केवल 5% ही एलएएम कोक 20-40 एमएम की मांग है। आयात केवल पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित हैं और केवल पिग आयरन निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं। चूंकि भारतीय उद्योग इस आकार का उत्पादन नहीं करता है, इसलिए ऐसे उत्पाद के आयात से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है।

xvii. घरेलू उत्पादकों ने लिखित पत्राचार के माध्यम से 20-40 एमएम कोक की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की है। 40 एमएम से कम आकार, केवल घरेलू

निर्माताओं के कैप्टिव खपत के लिए है, न कि व्यापारिक बिक्री के लिए। घरेलू उत्पादकों ने एनआईएल को 20-50 एमएम और 20-85 एमएम के वैकल्पिक आकार की पेशकश की है, हालांकि, ऐसे आकार माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग नहीं किए जा सकते हैं।

xviii. 20-40 एमएम आकार के कोक में अलग-अलग विशेषताएं होती हैं जो इसे कोक के बड़े आकार से तकनीकी रूप से अलग बनाती हैं। यह आकार गैस प्रवाह पैटर्न, गर्मी हस्तांतरण और फर्नेस संचालन को प्रभावित करता है।

xix. माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए आवश्यक उत्पाद वह है जिसमें राख की मात्रा 13% तक हो। घरेलू उत्पादक आमतौर पर उच्च राख सामग्री वाला कोक बनाते हैं जो माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस के लिए अनुपयुक्त है।

xx. ऐश कंटेंट, साइज़, मॉइस्चर कंटेंट, रिडक्शन के बाद कोक स्ट्रेंथ (सीएसआर) और कोक रिएक्टिविटी इंडेक्स (सीआरआई) जैसे मापदंड विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत पर असर डालते हैं और पीसीएन के उद्देश्य से इन पर विचार किया जाना चाहिए।

xxi. अनुप्रयोग, यानी ब्लास्ट फर्नेस के लिए मेट कोक और कोरेक्स के लिए मेट कोक पर पीसीएन के उद्देश्य से विचार किया जाना चाहिए।

xxii. इस जांच के लिए, 5% तक और 5% से ज़्यादा वज़न के हिसाब से नमी की मात्रा और 5% तक और 5% से ज़्यादा मात्रा के हिसाब से छोटे कणों की मात्रा को पीसीएन माना जाना चाहिए।

xxiii. टंबलर स्ट्रेंथ (एम40) को पीसीएन के लिए एक मापदंड माना जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा एम40 कम एम40से ज़्यादा खर्चीला होता है।

ग.2 घरेलू उद्योग के अनुरोध

6. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

i. प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत की अधिसूचना प्राधिकारी द्वारा माने गए उत्पाद क्षेत्र पर वर्तमान जांच के क्षेत्र के लिए विचार किया जाए।

ii. ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड द्वारा किए गए अनुरोध को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह उस उत्पाद की विशेषताओं का प्रकटन करने में विफल रहा है जिसके लिए उन्हें बाहर का अनुरोध किया गया है।

iii. अन्य हितबद्ध पक्षकार इस तथ्य के संबंध में कोई साक्ष्य देने में विफल रहे हैं कि घरेलू उद्योग उन ग्रेड के समान वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है जिनके लिए उन्हें बाहार करने का अनुरोध किया गया है।

iv. संबद्ध सामानों के विभिन्न ग्रेड का उत्पादन करने के लिए, केवल वांछित मापदंडों वाला कोयला आवश्यक है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचानी गई विशेषताओं वाले संबद्ध सामानों की उत्पादन प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। घरेलू उद्योग के पास अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचानी गई विशेषताओं वाले उत्पाद का उत्पादन करने की क्षमता है।

v. घरेलू उद्योग ने 12% और उससे कम राख सामग्री वाला मेट कोक का उत्पादन और बिक्री की है और इसके लिए उसे बाहर करने की आवश्यकता नहीं है।

vi. स्मॉल लम्प कोक, लम्प कोक, नट कोक और 30-50 एमएम आकार के कोक को केवल आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। चूंकि आकार पूरी तरह से स्क्रीनिंग पर निर्भर करता है, इसलिए घरेलू उद्योग सभी आकार के मेट कोक का निर्माण करने में सक्षम है।

vii. घरेलू उद्योग ने व्यापारिक बाजार में नट कोक का उत्पादन और बिक्री की है। इस प्रकार, नट कोक को बाहर करना उचित नहीं है।

viii. लम्प कोक और स्मॉल लम्प कोक शब्दावली का उपयोग भारत में नहीं किया जाता है और अन्य हितबद्ध पक्षकार ऐसे उत्पाद की विशेषताओं को प्रदान करने में विफल रहे हैं।

ix. चूंकि लम्प कोक और स्मॉल लम्प कोक दोनों का उपयोग ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग में किया जाता है और घरेलू उद्योग ने ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए संबद्ध सामानों की आपूर्ति की है, इसलिए घरेलू उद्योग ने समान वस्तु की आपूर्ति की है। इसलिए, इस संबंध में इसे बाहर करने का अनुरोध उचित नहीं है।

x. भारत में 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले मेट कोक की कोई मांग नहीं है। चूंकि घरेलू उद्योग को ऐसे उत्पाद के लिए किसी ने पूछा ही नहीं है, इसलिए इसका उत्पादन नहीं किया गया है। हालांकि, घरेलू उद्योग केवल उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल को बदलकर इसका उत्पादन करने में सक्षम है। उक्त उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

xi. एक आवेदक ने हाल ही में 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाला मेट कोक का उत्पादन किया है। हालांकि, ऐसा उत्पाद बेचा नहीं गया है क्योंकि भारत में इस उत्पाद की कोई मांग नहीं है।

xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के विपरीत, कोक ब्रीज़ और कोक फाइन का इस्तेमाल बड़े आकार के मेट कोक जैसा ही होता है। यह उत्पाद जांच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा बनाया और बेचा गया है। इसलिए, इसे बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है।

xiii. इस जांच में किसी ग्रेड को बाहर करने का कोई कानूनी आधार नहीं है क्योंकि पिछली जांचों में इसे बाहर कर दिया गया था। एक जांच से दूसरी जांच में विचाराधीन उत्पाद को बदलने पर कोई रोक नहीं है। प्राधिकारी ने पहले भी अलग-अलग जांच में अलग-अलग उत्पाद क्षेत्रों पर विचार किया है।

xiv. घरेलू उद्योग ने केवल वाणिज्यिक कारणों से फेरोअलॉय मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूएलपी कोक का उत्पादन नहीं किया है। फेरोअलॉय इंडस्ट्री को 30 एमएम या उससे कम आकार के यूएलपी कोक की ज़रूरत होती है। भारत में फेरोअलॉय अनुप्रयोग के लिए ऐसे उत्पाद की ज़रूरत भारतीय उद्योग के उत्पादन का केवल 5% है।

xv. यूएलपी कोक के लिए बाहर करना केवल फेरोअलॉय इंडस्ट्री तक ही सीमित होना चाहिए क्योंकि किसी अन्य क्षेत्र को ऐसे उत्पाद की आवश्यकता नहीं है। अगर, अंतिम प्रयोग के आधार पर इस बाहर रखना प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तो स्टील मैन्युफैक्चरर्स और अन्य क्षेत्र यूएलपी कोक के आयात की ओर रुख कर सकते हैं क्योंकि यह सामान्य कोक की कीमत सहित शुल्क की तुलना में कम कीमत वाला हो जाएगा।

xvi. घरेलू उद्योग ने ब्लास्ट फर्नेस और फेरोअलॉय निर्माण को छोड़कर, अन्य अनुप्रयोग में इस्तेमाल के लिए संबद्ध सामानों की आपूर्ति की है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग ने फेरोअलॉय निर्माण को छोड़कर अन्य अनुप्रयोगों के लिए वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद की आपूर्ति की है।

xvii. यूएलपी कोक को 0.01% तक फास्फोरस मात्रा वाला माना जाना चाहिए, जो नीलाचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड की वेबसाइट से साफ है।

xviii. चूंकि ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग और कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए एक ही उत्पाद का इस्तेमाल होता है, और घरेलू उद्योग ने उक्त उत्पाद का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए इसे बाहर रखने का अनुरोध सही नहीं है।

xix. अन्य हितबद्ध पक्षकार उच्च माइकम इंडेक्स के लिए सही-सही मापदंड परिभाषित करने में विफल रहे हैं। घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान उक्त उत्पाद का उत्पादन किया है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

xx. एनआईएल द्वारा दायर किया गया अभ्यावेदन देरी से किया गया है और इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। अनुरोध समय-सीमा के 122 दिन बाद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एनआईएल ने प्रयोक्ताओं या आयातकों की प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है और बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाए हैं। यह साफ तौर पर असहयोग दिखाता है।

xxi. प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं में चूक के कारण एनआईएल के अनुरोध को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद, उसे प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

xxii. एनआईएल ने रक्षोपाय जांच में डीजीटीआर द्वारा सिफारिशें जारी होने के बाद डीजी एफटी के सामने भी यही चिंताएं उठाई थीं। हालांकि, उस समय वाणिज्य मंत्रालय ने इन्हें स्वीकार नहीं किया था।

xxiii. भारतीय उद्योग ने 2एमएम से 200+ एमएम आकार के उत्पाद का उत्पादन और आपूर्ति की है। मेट कोक का वांछित आकार में उत्पादन मेट कोक के आकार को तय करने की एक मात्र आवश्यकता है। उत्पाद का आकार तय करना उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा नहीं है।

xxiv. जिंदल कोक लिमिटेड ने एनआईएल को उसके द्वारा अपेक्षित विनिर्देशनों के अनुसार उत्पाद की पेशकश की है। हालांकि, एनआईएल ने भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं दिया और उत्पाद आयात करना चुना।

xxv. नीलाचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड ने भी एनआईएल को उत्पाद की पेशकश की है। उसने 20-40 एमएम और 20-40 एमएम दोनों आकार के उत्पादों की पेशकशत की है। हालांकि, एनआईएल ने नीलाचल से परीक्षण प्रयोजनों के लिए किसी आदेश के बिना 100 एमटी उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कहा। ऐसे अनुरोध तय उद्योग प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

xxvi. एनआईएल ने तथ्यों को छिपाया है और यह दिखाया है कि वह हमेशा से विचाराधीन उत्पाद का आयात कर रहा है। हालांकि, बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने पहले एनआईएल को काफी मात्रा में सप्लाई किया है। इसके अलावा, एनआईएल ने बंगाल एनर्जी लिमिटेड से 80 एमएम तक के कई आकार खरीदे हैं। चूंकि

कंपनी अभी भी उसी फर्नेस के साथ काम कर रही है, इसलिए यह दावा कि वह केवल 20-40 एमएम का प्रयोग कर सकती है, गलत है।

xxvii. एनआईएल ने विचाराधीन उत्पाद का आयात केवल पाटित कीमतों की उपलब्धता के कारण शुरू किया। एनआईएल ने यह माना है कि उसे यह उत्पाद घरेलू उद्योग की कीमत से 10,000 रु. प्रति एमटी कम कीमत पर मिल रहा है। एनआईएल के लिए ऐसे उत्पाद को बाहर रखने से एनआईएल को अनुचित फायदा होगा और यह अन्य प्रयोक्ताओं की तुलना में ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाएगा क्योंकि इससे 5 वर्षों में 1,250 करोड़ रु. की अनुचित बचत होगी।

xxviii. 20-40 एमएम आकार की कोई तकनीकी ज़रूरत नहीं है, जो इस बात से साफ है कि एनआईएल ने 20-50 एमएम और 25-50 एमएम सहित कई आकार आयात किए हैं।

xxix. एनआईएल ने अपने कुल आयात का 50% से ज़्यादा पोलैंड से आयात किया है जो एक संबद्ध देश नहीं है।

xxx. एनआईएल द्वारा किए गए अनुरोध के विपरीत, "माइक्रो ब्लास्ट फर्नेस" जैसा कोई तकनीकी शब्द नहीं है। "मिनी ब्लास्ट फर्नेस" शब्द का इस्तेमाल छोटे ब्लास्ट फर्नेस के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग भारत में मिनी ब्लास्ट फर्नेस को नियमित रूप से आपूर्ति कर रहा है।

xxxi. घरेलू उद्योग फेरोअलॉय इंडस्ट्री को 10-30 एमएम का उत्पाद की आपूर्ति करता है। चूंकि 10-30 एमएम आकार 20-40 एमएम से छोटा है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि भारतीय उद्योग ऐसे उत्पाद की आपूर्ति नहीं कर पाएगा।

xxxii. एनआईएल ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग कोक ब्रीज़ और फाइन्स के उत्पादन के कारण छोटे आकारों के लिए अधिक कीमत लेता है, परंतु वह सही नहीं है। घरेलू उद्योग ब्लास्ट फर्नेस की तुलना में 10-30 एमएम कोक के लिए अधिक कीमतें नहीं लगाता है।

xxxiii. अन्य हितबद्ध पक्षकार यह दर्शाने में विफल रहे हैं कि पहचाने गए मापदंड उत्पादन लागत में बड़ा बदलाव लाते हैं जिसके लिए ऐसे मापदंड के आधार पर पीसीएन बनाने की ज़रूरत है।

xxxiv. पीसीएन तय करने के लिए बिक्री कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मांग-आपूर्ति की स्थिति, प्रयोक्ताओं द्वारा खरीदा की मात्रा, खरीद का माह, भुगतान शर्तें, सुपुर्दगी कार्यक्रम, स्थल बनाम संविदागत खरीद, उत्पादन लागत आदि जैसे कारके के आधार पर अलग-अलग होता है।

xxxv. संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत का लगभग 90% हिस्सा कच्ची सामग्री, यानी कोकिंग कोल का होता है। कोयले या यूटिलिटियों की उत्पादन के कारण लागत, नमी की मात्रा, टंबलर स्ट्रेंथ (एम40), सीएसआर और सीआरआई जैसे मापदंडों के कारण अलग-अलग नहीं हो सकती है। इस प्रकार, ऐसे मापदंडों के आधार पर पीसीएन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

xxxvi. संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत 13% से कम राख की मात्रा के लिए 5% से ज़्यादा अलग नहीं होती है। उत्पादन लागत 13% और 18% के बीच राख मात्रा के लिए 5% से ज़्यादा अलग नहीं होती है। 13% से ज़्यादा और कम राख मात्रा वाले संबद्ध सामानों के बीच उत्पादन लागत में होता है।

xxxvii. ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए ब्रीज़ कोक, नट कोक और मेट कोक के उत्पादन में अंतर होता है।

xxxviii. अनुप्रयोग पीसीएन पर विचार करने का आधार नहीं हो सकते क्योंकि इसमें शामिल उत्पाद एक ही हैं और मापदंडों में कोई अंतर नहीं है जिससे उत्पादन लागत में परिवर्तन आए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. इस जांच में विचाराधीन उत्पाद कम राख वाला मेटालर्जिकल कोक है जिसमें राख की मात्रा 18% से कम है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से निम्नलिखित उत्पादों को बाहर रखने का अनुरोध किया है।

   i. 12% या उससे कम राख वाला मेट कोक।

   ii. कोक ब्रीज़ और कोक फाइन

   iii. नट कोक

   iv. 30-50 एमएम आकार का कोक

8. प्राधिकारी नोट करते है कि घरेलू उद्योग ने इस बात का साक्ष्य दिया है कि उसने उपर्युक्त समान उत्पादों का उत्पादन और बिक्री व्यापारिक बाजार में की है। चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए ऊपर बताए गए उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा रहा है।

9. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि संबद्ध सामान में वांछित विशेषताएं, जिसमें अलग-अलग राख की मात्रा, टंबलर स्ट्रेंथ या माइकम मात्रा (एम 40), कोक रिएक्टिविटी इंडेक्स (सीआरआई), रिडक्शन के बाद कोक स्ट्रेंथ (सीएसआर) और फास्फोरस मात्रा

शामिल हैं, केवल सही गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती हैं। संबद्ध सामानों के तकनीकी मापदंडों को बदलने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों में से किसी ने भी इसके विपरीत कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आकार और अनुप्रयोग की परवाह किए बिना अल्ट्रा-लो फास्फोरस कोक को बाहर रखने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उक्त उत्पाद का उपयोग केवल फेरोएलॉय अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि फेरोएलॉय निर्माताओं को 30 एमएम तक के आकार वाले मेट कोक की आवश्यकता होती है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि वाणिज्यिक कारणों से, वह फेरोएलॉय अनुप्रयोग के लिए यूएलपी कोक का निर्माण नहीं करता है। यह भी अनुोध किया गया है कि यूएलपी कोक का उत्पादन करने के लिए केवल सही गुणवत्ता वाले कोयले की आवश्यकता होती है और उत्पादन प्रक्रिया को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य के अनुसार, उक्त उत्पाद का निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा किया गया है। हालांकि, घरेलू उद्योग 30 एमएम तक के आकार और फेरोएलॉय अनुप्रयोग के लिए यूएलपी कोक को बाहर रखने पर सहमत हो गया है। यह नोट किया जाता है कि आकार और अनुप्रयोग की परवाह किए बिना यूएलपी कोक को बाहर रखने की स्थिति में, अन्य प्रयोक्ता यूएलपी कोक के आयात की ओर रुख कर सकते हैं क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद यह अन्य प्रकार के मेट कोक की तुलना में सस्ता होने की संभावना है। इस तरह, प्राधिकारी ने फेरोअलॉय अनुप्रयोग में इस्तेमाल के लिए आयात किए जाने वाले 30 एमएम आकार तक के यूएलपी कोक को बाहर रखना सीमित किया है।

11. घरेलू उद्योग के इस अनुरोध के संबंध में कि यूएलपी कोक को 0.01% तक फॉस्फोरस मात्रा वाला माना जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने एक घरेलू उत्पादक की वेबसाइट के कुछ हिस्से दिए हैं, जिससे पता चलता है कि यूएलपी कोक को 0.01% तक फॉस्फोरस मात्रा वाला वर्गीकृत किया गया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की शुरुआत की अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में फेरोअलॉय मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल के लिए 30 एमएम आकार तक 0.03% तक फॉस्फोरस मात्रा वाले यूएलपी कोक को बाहर रखा गया है। चूंकि फॉस्फोरस मात्रा को 0.01% तक सीमित करने से उत्पाद का क्षेत्र बढ़ जाएगा, इसलिए इसे इस जांच के प्रयोजन के लिए नहीं माना जा रहा है।

12. इस अनुरोध के संबंध में कि कोक ब्रीज़ और कोक फाइन को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि ये उत्पाद उप-उत्पाद हैं और रक्षोपाय जांच में इन्हें बाहर रखा गया था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि

के दौरान कोक ब्रीज़ और कोक फाइन का उत्पादन किया है। एक जांच से दूसरी जांच में विचाराधीन उत्पाद को अलग मानने में कोई कानूनी रोक नहीं है। प्राधिकारी के सतत परिपाटी के अनुसार, इस जांच के प्रयोजन से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के लिए एक नई जांच की गई है। चूंकि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान कोक ब्रीज़ और कोक फाइन का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में माना गया है।

13. कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए संबद्ध सामान को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयात किए गए उत्पाद के बीच अंतर दिखाने वाले कोई तकनीकी मापदंड प्रदान नहीं किए हैं। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उक्त उत्पाद का आकार 10-50 एमएम है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग और कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संबद्ध सामान में कोई अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि, रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 10-50 एमएम आकार का मेट कोक बनाया है। तदनुसार, कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए मेट कोक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखना उचित नहीं है।

14. लम्प कोक और छोटे लम्प कोक को बाहर रखने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उक्त उत्पाद के तकनीकी मापदंडों को गोपनीय बताया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि उक्त उत्पाद का उपयोग ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। चूंकि घरेलू उद्योग ने ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग के लिए संबद्ध सामान का उत्पादन और बिक्री की है, इसलिए घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के लिए वाणिज्यिक और तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय उत्पाद का उत्पादन किया है। चूंकि घरेलू उद्योग ने घरेलू बाजार में समान वस्तु की पेशकश की है, इसलिए लम्प कोक और छोटे लम्प कोक को बाहर रखने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा रहा है।

15. 89 और उससे अधिक के माइकम इंडेक्स वाले संबद्ध सामान को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकारी ने पाया कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग ने ***% तक के उच्च माइकम इंडेक्स वाले संबद्ध सामान का उत्पादन किया है। अन्य हितबद्ध पक्षकार यह सिद्ध करने में विफल रहे हैं कि उच्च माइकम इंडेक्स वाले संबद्ध सामान को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, उच्च माइकम इंडेक्स वाले विचाराधीन उत्पाद को बाहर रखने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा रहा है।

16. 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले विचाराधीन उत्पाद को बाहर रखने के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि भारत में उक्त उत्पाद की कोई मांग नहीं है और उक्त उत्पाद को कच्चे माल के मिश्रण को बदलकर बनाया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने एक आवेदक की एक परीक्षण रिपोर्ट भी प्रदान की है जिसमें दिखाया गया है कि उसने 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई वाले संबद्ध सामान का उत्पादन किया है। हालांकि, यह उल्लेख किया गया है कि उक्त निर्माता मांग की कमी के कारण घरेलू बाजार में ऐसे उत्पाद को बेचने में सक्षम नहीं रहा है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने 70% से अधिक सीएसआर और 20% से कम सीआरआई को बाहर रखने के अनुरोध पर विचार नहीं किया है।

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि नरसिंह इस्पात लिमिटेड ("एनआईएल") ने वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण के लिए अनुरोध किया है क्योंकि यह 20-40 एमएम आकार के मेट कोक की खपत करता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उक्त अनुरोध बहुत देर से दायर किया गया है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईएल ने बहुत देर से एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत होने का अनुरोध किया है। हालांकि, प्राधिकारी ने एनआईएल को पंजीकृत कर लिया है क्योंकि इस जांच में एनआईएल को एक हितबद्ध पक्षकार के तौर पर पंजीकृत करने से घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार के हितों को कोई हानि नहीं होगी।

18. इस संबंध में कि एनआईएल ने इस जांच में आईक्यूआर/यूक्यूआर का उत्तर नहीं दिया है, प्राधिकारी नोट करते है कि पक्षकारों ने अनुरोध दायर किए हैं, जिन पर इस मामले में विचार किया गया है। अगर कोई पक्षकार उत्तर दायर नहीं भी करता है, तो भी प्राधिकारी जांच के दौरान उनके द्वारा दिए गए अनुरोध पर विचार करेंगे।

19. एनआईएल ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से 20-40 एमएम आकार के कोक को बाहर रखने का अनुरोध किया है। यह अनुरोध किया गया है कि यह आकार खास तौर पर मिनी ब्लास्ट फर्नेस वाले पिग आयरन विनिर्माताओं द्वारा प्रयुक्त किया जाता हैं और भारतीय उद्योग, भारत में मांग को पूरा करने के लिए इतनी ज़्यादा मात्रा में यह आकार उपलब्ध नहीं कराते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 20-40 एमएम आकार का कोक बनाने के लिए, केवल उत्पाद की क्रशिंग और स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है। क्रशिंग और स्क्रीनिंग उत्पादन प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा नहीं है। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, घरेलू उद्योग ने घरेलू बाज़ार में 2 एमएम से 200+ एमएम आकार के संबद्ध सामान का उत्पादन और बिक्री की है।

20. प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना से पता चलता है कि 20-40 एमएम आकार और एनआईएल द्वारा अनुरोध किए गए विशिष्ट उत्पाद वाला जिंदल कोक लिमिटेड और नीलाचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड द्वारा पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित उत्पादकों ने एनआईएल को उक्त उत्पाद की आपूर्ति करने की अपनी क्षमता और इच्छा व्यक्त करते हुए घोषणाएँ प्रस्तुत की हैं।

i. एक्वा टेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड

ii. बंगाल एनर्जी लिमिटेड

iii. जिंदल कोक लिमिटेड

iv. कृष्णा कोक प्राइवेट लिमिटेड

v. महालक्ष्मी ग्रुप

vi. नीलाचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड

vii. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड

viii. तमिलनाडु कोक एंड पावर लिमिटेड

ix. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड

x. वीज़ा कोक लिमिटेड

21. भारत में 20-40 एमएम उत्पाद की अनुपलब्धता के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि एनआईएल ने खुद ही यह अनुरोध किया है कि उसने भारत में घरेलू अनुप्रयोगों से उक्त उत्पाद की कुछ मात्रा खरीदी है। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, आवेदक घरेलू उत्पादकों में से एक, बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने पहले भी एनआईएल को उक्त उत्पाद की आपूर्ति की है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि बंगाल एनर्जी लिमिटेड से एनआईएल की खरीद केवल 20-40 एमएम तक सीमित नहीं थी और उसने विभिन्न आकार खरीदे हैं।

22. एनआईएल ने अनुोध किया है कि घरेलू उद्योग कम आकार के कोक प्रदान नहीं कर सकता है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित 20-40 एमएम केवल कैप्टिव खपत के लिए है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के अनुसार, घरेलू उद्योग ने नियमित आधार पर नट कोक का उत्पादन और आपूर्ति की है। नट कोक का आकार 10-30 एमएम होता है जो एनआईएल द्वारा मांगे गए कोक के आकार से कम है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि 9 आवेदक घरेलू उत्पादकों में से केवल एक

कंपनी ही विचाराधीन उत्पाद का कैप्टिव रूप से खपत करती है। अन्य घरेलू उत्पादक केवल व्यापारिक बाजार के लिए उत्पादन करते हैं।

23. एनआईएल द्वारा 20-40 एमएम कोक के लिए कोई तकनीकी आवश्यकता नहीं होने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, एनआईएल ने विभिन्न आकार के मेट कोक खरीदे हैं और 20-40 एमएम आकार तक सीमित नहीं रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने पहले भी एनआईएल को संबद्ध सामान प्रदान किया है और एनआईएल ने घरेलू उद्योग से विभिन्न आकार खरीदे हैं।

24. एनआईएल ने अनुरोध किया है कि उसे 13% से कम राख सामग्री वाला कोक चाहिए और घरेलू उत्पादक इसकी आपूर्ति नहीं करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि में उपलब्ध पीसीएन-वार आंकड़ों के अनुसार, घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान काफी मात्रा में 13% से कम राख सामग्री वाला मेट कोक का उत्पादन किया है और बेचा है।

25. कम आकार के कोक के लिए घरेलू उद्योग द्वारा अधिक कीमतें वसूलने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादकों ने एक घोषणा की है कि वे अधिक कीमतें नहीं वसूलते हैं।

26. किसी उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से तभी बाहर रखा जा सकता है जब ऐसा उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचा नहीं जाता हो। प्राधिकारी ने नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, घरेलू उद्योग ने यह उत्पाद एनआईएल को पेश नहीं किया है और न ही एनआईएल को यह उत्पाद बनाया और बेचा है। इसके अतिरिक्त, एनआईएल ने खुद भी यह बताया है कि उसने यह उत्पाद भारत में घरेलू विनिर्माताओं से खरीदा है। इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से 20-40 एमएम कोक को बाहर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

27. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार, एनआईएल द्वारा लगभग 50% आयात पोलैंड से किया गया है जो एक गैर-संबद्ध देश है। एनआईएल गैर-संबद्ध देश से उचित कीमतों पर उत्पाद आयात करना जारी रख सकता है और साथ ही पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करने के बाद संबद्ध देशों से भी उचित कीमतों पर संबद्ध सामान खरीद सकता है।

28. प्राधिकारी ने इस जांच के प्रयोजन से उत्पाद के क्षेत्र को वही माना है जो जांच की शुरुआत की अधिसूचना में माना गया है।

> *"लो ऐश मेटालर्जिकल कोक, यानी 18% से कम ऐश कंटेंट वाला मेटालर्जिकल कोक, जिसमें 0.030% तक फॉस्फोरस कंटेंट वाला अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस*

मेटालर्जिकल कोक शामिल नहीं है, जिसका आकार 30 एमएम तक हो और फेरोअलॉय मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल के लिए 5% आकार सहयता हो।"

29. विचाराधीन उत्पाद एचएस कोड 2704 0030 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 27 के अंतर्गत वर्गीकृत है। विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न अन्य एचएस कोड जैसे 2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 और 2704 0090 के तहत भी आयात किया जा रहा है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित सामान में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामान के प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों को संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध सामानों के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुोध किया है कि सीआरआई, सीएसआर, नमी की मात्रा और टंबलर स्ट्रेंथ (एम40) सहित मापदंडों को पीसीएन मापदंडों के रूप में माना जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि ऐसे मापदंडों से संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत में परिवर्तन होता है। इसलिए, इन्हें अलग-अलग मापदंडों के रूप में नहीं माना गया है।

32. इस अनुरोध के संबंध में कि पीसीएन उत्पाद के अनुप्रयोग पर आधारित होना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीसीएन उत्पाद के अनुप्रयोग के आधार पर तैयार नहीं किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पादन लागत उत्पाद के अनुप्रयोग के आधार पर भिन्न नहीं होती है क्योंकि उसी उत्पाद का प्रयोग ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोग और कोरेक्स अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में पीसीएन के लिए ऐसे मापदंड पर विचार नहीं किया है।

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत 13% से अधिक और 13% से कम राख की मात्रा के आधार पर भिन्न होती है। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए साक्ष्य दिए हैं कि उत्पादन लागत 13% से कम विभिन्न राख की मात्रा के आधार पर काफी भिन्न नहीं होती है और भिन्नता केवल 13% से अधिक और 13% से कम राख की मात्रा के बीच मौजूद है। तदनुसार, इसे इस जांच के लिए पीसीएन मापदंड के अनुसार माना गया है

34. कोक के आकार के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते है कि किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने उत्पादन लागत में अंतर दिखाने वाला कोई साक्ष्य नहीं दिया है। यह भी नोट किया जाता है कि जबकि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि 10 एमएम से कम, 10-30 एमएम और 30 एमएम से ज़्यादा साइज़ वाले कोक के लिए अलग-अलग पीसीएन बनाए जाने चाहिएं, आकार के आधार पर उत्पादन लागत में परिवर्तन के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए साक्ष्यों से पता चलता है कि 10 एमएम से कम और 10 एमएम से ज़्यादा साइज़ वाले मेट कोक की उत्पादन लागत में काफी अंतर है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 10-20 एमएम और 30 एमएम से ज़्यादा आकार के बीच लागत अंतर पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने 10 एमएम तक और 10 एमएम से ज़्यादा आकार के आधार पर पीसीएन पर विचार किया है।

35. इस जांच के लिए निम्नलिखित पीसीएन को अंतिम रूप दिया गया है।

पीसीएन मानदंड	मापदंड	कोड विवरण	कोड चिह्न
राख सामग्री	कम राख	13% से कम	एलए
	मध्यम राख	13% से ज़्यादा	एमए
आकार	कोक फाइन/ब्रीज़	आकार 10 एमएम तक	सीएफ
	अन्य	आकार 10 एमएम से ज़्यादा	ओटी

घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों की घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अनुरोध निम्नलिखित हैं:

i. जांच की शुरुआत की अधिसूचना में यह तय करने के लिए कोई उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण नहीं है कि क्या यह मामला बिखने हुए उद्योग वाला मामला है। व्यापार सूचना 09/2021 के तहत आवेदन-पत्र दायर करने के लिए यह निर्धारण पूर्वापेक्षित है।

ii. प्राधिकारी ने न तो यह स्पष्ट किया है कि आर्थिक विश्लेषण के लिए माने गए 8 घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया गया है और न ही भविष्य नमूनाकरण करने का आशय स्पष्ट किया गया है।

iii. 8 नमूनाकृत उत्पादकों को प्रपत्र VI-1 से VI-5 देना चाहिए था।

iv. 8 उत्पादक व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध 1 के अनुसार सूचना देने में विफल रहे हैं।

v. जबकि आवेदक ने जिंदल कोक लिमिटेड को विचाराधीन उत्पाद का आयातक बताया था, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना में यह उल्लेख किया है कि आवेदक घरेलू उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद को भारत में आयात नहीं किया है

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

37. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किएए गए अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. यह आवेदन-पत्र इंडियन मेटालर्जिकल कोक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया है। एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों ने इस जांच के उद्देश्य से आंकड़े प्रदान किए हैं।

1. भाटिया कोक एंड एनर्जी लिमिटेड (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड),
2. बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड,
3. पवनपुत्र ईकोक प्राइवेट लिमिटेड
4. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड,
5. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड
6. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड, और
7. वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड

ii. भारत में, मेट कोक या तो स्टील के निर्माण में एक मध्यवर्ती के रूप में उत्पादित होता है या बाजार में उत्पादन और बिक्री के लिए एक उत्पाद के रूप में उत्पादित होता है या आंशिक रूप से बिक्री के लिए और आंशिक रूप से भीतरी खपत के लिए उत्पादित होता है।

iii. इस उत्पाद के कम से कम 17 उत्पादक हैं जो कैप्टिव रूप से मेट कोक का उत्पादन करते हैं। कैप्टिव उपयोग के लिए मेट कोक का उत्पादन करने वाले स्टील निर्माताओं को इस जांच के उद्देश्य से नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि वे अनिवार्य रूप से उत्पाद के उपभोक्ता हैं, वे मेट कोक को एक उत्पाद के रूप में नहीं पहचानते हैं, वे व्यापारिक बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं, मेट कोक उनके लिए एक कच्चा माल है न कि बिक्री के लिए एक उत्पाद और वे मर्चेंट बाजार की स्थिति से अलग हैं।

iv. स्टील निर्माता अपनी वेबसाइट पर मेट कोक को एक उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट नहीं करते हैं।

v. कैप्टिव उत्पादकों को घरेलू उद्योग के क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए नहीं माना जाना चाहिए जैसा कि भारत में संबद्ध सामानों के आयात पर पिछली जांचों में किया गया था। पिग आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में अधिकरण ने प्राधिकारी द्वारा जारी निष्कर्षों को बरकरार रखा और कहा कि जो स्टील उत्पादक कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन करते हैं, उन्हें घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

vi. घरेलू उद्योग ने सभी घरेलू उत्पादकों को उनकी क्षमता, उत्पादन और बिक्री की पुष्टि करने के लिए पत्र भेजा है। चूंकि संबद्ध सामान के भारतीय उत्पादन के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राधिकारी आवेदक द्वारा प्रदान किए गए अनुमानों को सत्यापित करने के लिए घरेलू उत्पादकों से संपर्क कर सकते हैं।

vii. कई उत्पादकों ने प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र के बाद समर्थन पत्र दायर किए हैं।

viii. श्री इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड और बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

ix. आवेदन-पत्र दायर करने के बाद, जिंदल कोक लिमिटेड ने विस्तृत क्षति संबंधी आंकड़े दायर किए है और घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने का अनुरोध किया है।

x. आवेदक घरेलू उत्पादकों में से कोई भी संबद्ध देशों में संबद्ध सामान के निर्यातक या भारत में संबद्ध सामान के आयातों से संबद्ध नहीं है।

xi. जांच शुरू होने के बाद, बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने विस्तृत क्षति संबंधी आंकड़े दायर किए है और अनुरोध किया है कि उसे घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाए।

xii. आवेदक घरेलू उत्पादकों का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और इसलिए, नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

38. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैः

> '(ख) "घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबद्ध होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"
>
> *बशर्ते कि नियम 11 के उप नियम (3) में उल्लिखित अपवादात्मक परिस्थितियों में, प्रश्नगत वस्तु से संबंधित घरेलू उद्योग दो या उससे अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों और पृथक उद्योग के रूप में ऐसे प्रत्येक बाजार के भीतर उत्पादकों से युक्त माना जाएगा, यदि*
>
> *(i) ऐसे बाजार में उत्पादक उस बाजार में प्रश्नगत वस्तु के अपने सभी या लगभग अपने सभी उत्पादन की बिक्री करते हैं; और*
>
> *(ii) बाजार में मांग उस क्षेत्र में अन्यत्र स्थित उपर्युक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा काफी मात्रा में कोई आपूर्ति नहीं है;"*

39. मौजूदा जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र इंडियन मेटालर्जिकल कोक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ("आईएमसीओएम") ने व्यापार सूचना 09/2021 के तहत घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया है। आवेदक एसोसिएशन के इन सदस्यों ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध 1 के अनुसार क्षति के आंकड़े दिए हैं।

1. भाटिया कोक एंड एनर्जी (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड),
2. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
3. बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड
4. जिंदल कोक लिमिटेड

5. पवनपुत्र ईकोक प्राइवेट लिमिटेड

6. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड

7. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड

8. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड, और

9. वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड

40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में, मेट कोक या तो स्टील बनाने की प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती के रूप में बनाया जाता है या व्यापारिक बाजार में बेचा जाता है या आंशिक रूप से बिक्री के लिए और आंशिक रूप से अपनी कैप्टिव खपत के लिए उत्पादित जाता है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि मेट कोक का कैप्टिव रूप से उत्पादन करने वाले इस उत्पाद के कम से कम 17 उत्पादक हैं। तथापि इन उत्पादकों को निम्नलिखित कारणों से वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग का क्षेद्ध निर्धारित करने के लिए मेट कोक के उत्पादक नहीं माना जाना चाहिए।

1. स्टील बनाने के हिस्से के रूप में मेट कोक बनाने वाले उत्पादक इसे एक उत्पाद के रूप में नहीं पहचानते हैं।

2. यह इन उत्पादकों को स्टील के उत्पादनके लिए ज़रूरी एक इनपुट है और ऐसी उत्पादन प्रक्रिया में एक मध्यवर्ती है।

3. स्टील उत्पादकों की वेबसाइटें मेट कोक को "उत्पाद " के रूप में नहीं बताती हैं।

4. स्टील मैन्युफैक्चरर्स मेट कोक मार्केट में न तो आयातकों के साथ और न ही घरेलू उत्पादकों के साथ मुकाबला करते हैं।

5. कैप्टिव उत्पादक मेट कोक बाजार में बाजार स्थितियों से संचालित होते हैं।

6. स्टील मैन्युफैक्चरर्स असल में इस सामान के मैन्युफैक्चरर के बजाय उपभोक्ता हैं।

7. मेट कोक इन उत्पादकों के लिए एक कच्चा माल है, न कि बिक्री के लिए बनाया गया उत्पाद ।

41. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में, विचाराधीन उत्पाद के लिए दो प्रतिस्पर्धी बाजार हैं। मार्केट के पहले सेट में संबद्ध सामानों के कैप्टिव उत्पादक शामिल हैं जो इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया के भाग के रूप में मेट कोक का उत्पादन करते हैं। यह नोट किया जाता है कि ये विनिर्माता घरेलू व्यापारिक बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं क्योंकि वे

आमतौर पर बाजार में मेट कोक नहीं बेचते हैं। ऐसे उत्पादकों के लिए, मेट कोक इस्पात के उत्पाद के लिए एक मध्यवर्ती उत्पाद है और ऐसे विनिर्माता असल में विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता हैं। इनमें से कुछ विनिर्माता व्यापारिक बाजार से कोक खरीदते भी हैं या इसे भारत में आयात करते हैं। दूसरा बाजार उन विनिर्माताओं का है जिनका अंतिम उत्पाद मेट कोक है। ये उत्पादक व्यापारिक बाजार में बेचने के लिए संबद्ध सामान का विनिर्माण करते हैं। ऐसे उत्पादक व्यापारिक बाजार में आपस में और साथ ही भारत में होने वाले आयात के साथ भी प्रतियोगिता करते हैं। इस जांच के प्रयोजन से, प्राधिकारी ने इन्हें अलग-अलग प्रतिस्पर्धी बाजार माना है और ऐसे हर बाजार के अंदर के उत्पादक एक अलग उद्योग हैं। तदनुसार, कैप्टिव उत्पादकों के उत्पादन पर वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग परिभाषित करने के उद्देश्य से कुल भारतीय उत्पादन के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा रहा हे।

42. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात पर पिछली जांचों में, प्राधिकारी ने व्यापारिक बाजार और कैप्टिव बाजार को अलग-अलग प्रतिस्पर्धी बाजार माना है और इन बाजारों में से हर एक के अंदर के उत्पादकों को अलग उद्योग माना है। अधिकरण ने, पिग आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में, प्राधिकारी द्वारा जारी जांच परिणामों को सही ठहराया और कहा कि इस्पात उत्पादक एक अलग बाजार वाले हैं।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामान के आयात की इस पाटनरोधी जांच को शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र दायर करते समय, आवेदक एसोसिएशन के निम्नलिखित सदस्यों ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध-1 के अनुसार आंकड़े दिए हैं।

1. भाटिया कोक एंड एनर्जी (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड),
2. बीएलए कोक प्राइवेट लिमिटेड
3. पवनपुत्र ईकोक प्राइवेट लिमिटेड
4. सौराष्ट्र फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
5. एसयू मंगला कोक प्राइवेट लिमिटेड
6. यूनाइटेड कोक प्राइवेट लिमिटेड, और
7. वेदांता माल्को एनर्जी लिमिटेड

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर बताए गए किसी भी आवेदक घरेलू उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध सामान को भारत में आयात नहीं किया है। इसके अलावा, ये उत्पादक संबद्ध देशों में संबद्ध सामान के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

45. आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है, और इसलिए, उन्हें घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।

1. श्री अरिहंत ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
2. श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3. मदर्सन कंसोलिडेट
4. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
5. महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
6. महालक्ष्मी वेलमैन फ्यूल्स एलएलपी
7. जिंदल कोक लिमिटेड
8. वीज़ा कोक लिमिटेड

46. प्राधिकारी ने मौजूदा जांच शुरू करने से पहले भारत में सभी घरेलू उत्पादकों को 25 मार्च 2025 को पत्र जारी किए, जिसमें उनसे उनकी क्षमता, उत्पादन, बिक्री, कैप्टिव खपत और क्षति की अवधि के दौरान उत्पादकों द्वारा किए गए आयात के बारे में सूचना मांगी गई थी। प्राधिकारी ने यह भी सूचना मांगी कि क्या उत्पादक जांच शुरू करने के लिए दायर आवेदन-पत्र का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं या तटस्थ हैं। निम्नलिखित उत्पादकों ने आवेदन-पत्र का समर्थन किया और समर्थन पत्र दायर किए।

1. बंगाल एनर्जी लिमिटेड
2. कार्बन एज इंडस्ट्रीज लिमिटेड
3. कोरोमंडल मेट कोक इंडस्ट्रीज
4. हर्ष फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
5. जिंदल कोक लिमिटेड
6. नारायणी कोक प्राइवेट लिमिटेड

7. नीलाचल कार्बो मेटालिक्स लिमिटेड

8. श्री इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड

9. तिरुपति ट्रेडर्स

10. तमिलनाडु कोक एंड पावर लिमिटेड

11. उषा फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड

12. वराह वेंचर्स (पहले गिरधारी कोक के नाम से जाना जाता था

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू होने से पहले, जिंदल कोक लिमिटेड ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध 1 के अनुसार आंकड़े दिए हैं और प्राधिकारी से इसे घरेलू उद्योग का हिस्सा मानने का अनुरोध किया है। चूंकि जिंदल कोक लिमिटेड द्वारा व्यापार सूचना 09/2021 के अनुसार पूरे आंकड़े प्रदान किए गए है, इसलिए प्राधिकारी ने इसे वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग का हिस्सा माना है। जिंदल कोक लिमिटेड ने आगे स्पष्ट किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारत में आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देशों में संबद्ध सामान के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है।

48. जांच शुरू होने के बाद, बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध 1 के अनुसार आंकड़े दायर किए हैं और अनुरोध किया है कि इसे वर्तमान जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग का हिस्सा माना जाए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बंगाल एनर्जी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामान का आयात किया है। उत्पादक ने बताया है कि उसने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से केवल एक वैसल का आयात किया था और वह विचाराधीन उत्पाद का नियमित आयातक नहीं है। इसके अलावा, आयातित उत्पाद की कैप्टिव रूप से खपत की गई है और घरेलू बाजार में बेचा नहीं गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि बंगाल एनर्जी लिमिटेड का आयात, संबद्ध आयात, भारत में घरेलू उत्पादन और भारत में मांग की तुलना में बहुत कम है। बंगाल एनर्जी का संबद्ध देशों में संबद्ध सामान के किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयात से कोई संबंध नहीं है। तद्नुसार, प्राधिकारी ने इस जांच के लिए बंगाल एनर्जी लिमिटेड को घरेलू उद्योग का हिस्सा माना है।

विवरण	यूनिट	जांच की अवधि
बंगाल एनर्जी लिमिटेड द्वारा आयात	एमटी	***

संबद्ध आयात	एमटी	31,29,282
घरेलू उत्पादन	एमटी	23,85,833
मांग	एमटी	62,87,216
के संबंध में आयात		
संबद्ध आयात	%	<2%
घरेलू उत्पादन	%	<2%
मांग	%	<1%

49. रिकॉर्ड में मौजूद सूचना के अनुसार, निम्नलिखित उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात किया है।

क्र.सं.	उत्पादक	उत्पादन	आयात	उत्पादन के संबंध में आयात
1.	बंगाल एनर्जी लिमिटेड	***	***	5-15%
2.	महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	***	***	70-80%
3.	महालक्ष्मी वेलमैन फ्यूल्स एलएलपी	***	***	150-160%
4.	मदरसन कंसोलिडेट	***	***	5-15%
5.	श्री अरिहंत ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	***	***	50-60%
6.	श्री इलेक्ट्रोमेल्ट्स लिमिटेड	***	***	15-25%
7.	श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	***	***	0-10%
8.	वीज़ा कोक लिमिटेड	***	***	20-30%

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि बंगाल एनर्जी लिमिटेड, मदरसन कंसोलिडेट और श्रीजी कोक एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का आयात उनके उत्पादन, भारत में कुल उत्पादन और भारत में मांग के मुकाबले ज़्यादा नहीं है, इसलिए इन उत्पादकों को इस जांच में घरेलू उद्योग का हिस्सा बनने के लिए पात्र माना गया है।

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच में घरेलू उद्योग का हिस्सा माने जाने वाले घरेलू उत्पादकों का भारत के कुल पात्र भारतीय उत्पादन का 72% हैं और समर्थकों का कुल पात्र घरेलू उत्पादन में 85% हिस्सा हैं। चूंकि घरेलू उत्पादकों का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात हैं, अत: प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि उपर्युक्त घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग हैं।

52. प्राधिकारी ने इस जांच में घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया है। सबसे ज़्यादा उत्पादन मात्रा के आधार पर इन तीन घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया गया है। इन उत्पादकों ने इस जांच के लिए व्यापार सूचना 05/2021 में बताई गई सभी संगत सूचना दी है।

क. बंगाल एनर्जी लिमिटेड

ख. भाटिया कोक एंड एनर्जी लिमिटेड (एक्वाटेरा कोक एंड एनर्जी लिमिटेड)

ग. जिंदल कोक लिमिटेड

ड. <u>गोपनीयता</u>

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

53. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध करने के बावजूद आवेदक ने लेन-देनवार आयात आंकड़े नहीं दिए हैं।

ii. व्यापार सूचना सं. 09/2021 के अनुबंध II में कुछ अपेक्षाएं निर्धारित हैं, जिनमें से एक इंडियन मेटालर्जिकल कोक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्यों की पूरी सूची है। इस सूची का अगोपनीय रूपांतर घरेलू उद्योग ने हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध नहीं कराया है।

iii. आवेदक ने सामान्य मूल्य की गणना को पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया है और इसके लिए कोई अगोपनीय सारांश नहीं दिया है। इस तरह, अन्य हितबद्ध पक्षकार प्रस्तुत सूचना की सटीकता को सत्यापित करने में सक्षम नहीं रहे हैं।

iv. जबकि आवेदक ने अनुरोध किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड विचाराधीन उत्पाद का एक आयातक है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। अगर आवेदक ने कोई स्पष्टीकरण दिया था, तो उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित नहीं किया गया था।

v. आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि पीबीआईटी के वास्तविक आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, क्षतिरहित कीमत के लिए गणना भी नहीं दी गई है।

ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

54. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं।

i. कई विदेशी उत्पादकों ने उन व्यापारियों और निर्यातकों के नामों का दावा किया है जिन्होंने भारत को अपने निर्यातित उत्पाद गोपनीय बताए हैं।

ii. कई उत्पादकों /निर्यातक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि उन्होंने वितरण और विपणन चैनल तथा संबद्ध कंपनियों के संबंध में विवरण, समायोजन के रूप में दावा किए गए खर्चों की प्रकृति, उत्पादन प्रक्रिया और कच्ची सामग्री के नाम प्रकट नहीं किए हैं।

iii. उत्पाद कैटलॉग और ब्रोशर के साथ-साथ बेचे गए उत्पादों की सूची जो ग्राहकों के साथ नियमित रूप से साझा की जाती है, उसे गोपनीय बताया गया है।

iv. कई पक्षकारों ने व्यापार सूचना 01/2013 के अनुसार गोपनीयता का औचित्य नहीं बताया है।

v. कई उत्पादकों और निर्यातक ने कंपनी संबद्धता, शेयरधारिता और उनके द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद के उत्पादकों के नाम गोपनीय होने का दावा किया है।

vi. बीजक के बाद छूट के ब्यौरे और प्रकृति गोपनीय होने का दावा किया गया हे।

vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने व्यापार सूचना 10/2018 की अपेक्षा का पालन नहीं किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

55. पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के तहत निम्नलिखित प्रावधान है:

"7. गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमावली (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

56. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी ज़रूरी था, गोपनीय दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करें।

57. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय सारांश अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

58. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने लेनदेन-वार आयात आंकड़े सांझा नहीं किए हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने भारत में संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए बाजार आसूचना पर भरोसा किया है। इसका एक अगोपनीय सार सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया है। किसी भी मामले में, लेन-देनवार सूचना साझा न करके किसी भी हितबद्ध पक्षकार के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीहं किया गया है क्योंकि प्राधिकारी डीजी आंकड़ों पर विश्वास किया है, न कि घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों पर।

59. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि एसोसिएशन के सदस्यों की सूची का अगोपनीय रूपांतर घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उचित तुलना के लिए वितरण चैनल और उचित तुलना के लिए दावा किए गए समायोजन नहीं दिए गए हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। प्राधिकारी ने 24 अक्टूबर 2025 को ईमेल के माध्यम

से घरेलू उद्योग सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को उक्त सूचना का खुलासा करने का निर्देश दिया है।

60. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने पीबीआईटी के वास्तविक आंकड़ों और सामान्य मूल्य गणना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया गया है। चूंकि उत्पादन लागत कॉन्फिडेंशियल व्यावसायिक स्वामित्व की सूचना है, इसलिए इसे गोपनीय माना गया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है। घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता से संबद्ध सूचना गोपनीय व्यावसायिक स्वामित्व सूचना है, जिसका प्रकटन करने से प्रतिस्पर्धियों को प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा और प्रयोक्ताओं को कीमतों पर बातचीत करने में बढ़त मिलेगी और इसलिए, इसे गोपनीय माना गया है। प्राधिकारी ने इस संबंध में गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है।

61. जहाँ तक इस अनुरोध का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने वह स्पष्टीकरण साझा नहीं किया है जिसके आधार पर प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि जिंदल कोक लिमिटेड ने भारत में संबद्ध सामान आयात नहीं किए हैं, प्राधिकारी नोट करतें हैं कि जिंदल कोक लिमिटेड ने याचिका दायर करने के बाद इस जांच में समर्थन-पत्र दायर किया है। इस पत्र का अगोपनीय रूपांतर सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया है। जिंदल कोक लिमिटेड ने कहा है कि उसने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद आयात नहीं किया है।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

62. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नीचे विविध अनुरोध किए हैं:

   i. दायर की गई याचिका अधूरी है क्योंकि इसमें क्षतिरहित कीमत, क्षति मार्जिन, प्रपत्र VI-1 से VI-5, हर उत्पादक के लिए अनुबंध । और साथ ही पीबीआईटी के वास्तविक आंकड़े शामिल नहीं हैं।

   ii. मौजूदा जांच में प्राथमिक जांच परिणामों की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग ने नकद लाभ कमाया है जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की स्थिति को नहीं दिखाता है। मौजूदा जांच शुरू होने के बाद आयात बढ़ने का कोई साक्ष्य नहीं है।

iii. प्रचालन प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार, अगर पाटित आयातों के बढ़ने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति से बचाने के लिए 'तुरंत ज़रूरत' होती है, तो अनंतिम शुल्क पर विचार किया जा सकता है।

iv. रक्षोपाय जांच और पाटनरोधी जांच के बीच क्षति की अवधि का अति-व्यापन है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति को लागू मात्रात्मक प्रतिबंधों से हल किया जाएगा।

v. मौजूदा जांच शुरू करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि आवेदकों ने पाटनरोधी शुल्क जांच शुरू करने की शर्त को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है।

vi. आवेदक व्यापार उपचारात्मक प्रक्रिया का अनुचित लाभ ले रहा है। विचाराधीन उत्पाद वर्तमान में रक्षोपाय उपायों के अध्यधीन है और पहले पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन था।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

63. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. आयात की कीमतें जांच की अवधि के बाद भी, खासकर इंडोनेशिया से, लगातार गिर रही हैं।

ii. अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की ज़रूरत है क्योंकि जांच की अवधि के बाद कीमतों में गिरावट से भारतीय उद्योग को काफी क्षति हुई है।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

64. इस तर्क के संबंध में कि दायर किया गया आवेदन-पत्र अधूरा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन-पत्र भारत में घरेलू उत्पादकों की एसोसिएशन द्वारा व्यापार सूचना 09/2021 के तहत दायर किया गया है। आवेदक घरेलू उत्पादकों ने व्यापार सूचना 09/2021 के अनुबंध 1 के रूप में आंकड़े दिए हैं। व्यापार सूचना की अपेक्षाओं के अनुसार, आवेदक घरेलू उत्पादकों को प्रपत्र VI-1 से VI-5 के रूप में विस्तृत सूचना दायर करने की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकारी ने मौजूदा जांच में घरेलू उत्पादकों का नमूनाकरण किया है और नमूनाकृत उत्पादकों ने विस्तृत प्रपत्र VI-1 से VI-5 दायर किए हैं। दायर किए गए विस्तृत प्रपत्रों के आधार पर, प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है।

65. प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क में कोई औचित्य नहीं लगता कि वर्तमान जांच बिना किसी आधार के शुरू की गई थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने दायर किए गए आवेदन-पत्र में पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क का कोई

प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था। पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क के *प्रथमदृष्टया* साक्ष्य के संबंध में जांच करने और उनसे संतुष्ट होने के बाद ही प्राधिकारी ने यह जांच शुरू की।

66. इस अनुरोध के संबंध में कि अनंतिम शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है। जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां, नकद हानियां हुई हैं और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज हुई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के बाद भी आयात की कीमत कम हो गई है, जिससे घरेलू उद्योग को और भी ज़्यादा क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में, संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के उपचार की तत्काल आवश्यकता है।

67. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक व्यापार उपचारात्मक उपायों का अनुचित लाभ ले रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत में संबद्ध सामान पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन रहे हैं। प्राधिकारी ने यह जांच करने और तय करने के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी कि संबद्ध देशों के उत्पादक भारत में संबद्ध सामान का पाटन कर रहे थे, जिसके कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई। प्रत्येक जांच परिणाम में प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर आए कि निर्यातक पाटन की अनुचित व्यापारिक परिपाटी में लगे हुए हैं। तद्नुसार, पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय की सिफारिश यह निष्कर्ष निकालने के बाद की गई थी कि आयात इतनी मात्रा में बढ़े कि उनसे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई।

68. इस तर्क के बारे में कि मौजूदा जांच की क्षति की अवधि रक्षोपाय जांच की क्षति की अवधि के साथ अतिव्यापन करती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा जांच में जांच की अवधि अक्टूबर 2023 - सितंबर 2024 है। रक्षोपाय जांच में सबसे हाल की अवधि अप्रैल 2022 - मार्च 2023 थी। मौजूदा जांच में घरेलू उद्योग का निष्पादन रक्षोपाय जांच में घरेलू उद्योग के निष्पादन से कहीं ज़्यादा खराब है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने केवल जांच की अवधि के लिए पाटन निर्धारित किया है। ऐसी स्थिति में, अवधि का अतिव्यापन वर्तमान जांच के औचित्य में परिवर्तन नहीं लाता।

छ. <u>बाजार अर्थव्यवस्था उपचार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन</u>

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

69. बाजार अर्थव्यवस्था उपचार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

i. आवेदक यह पर्याप्त स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है कि सामान्य मूल्य की गणना करना उचित था।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

70. बाजार अर्थव्यवस्था उपचार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए, और सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

ii. आवेदक के पास किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में बिक्री कीमत या लागत तक पहुँच नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। भारत में आयात पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि माल का बड़ा हिस्सा भारत में पाटित किया जा रहा है। पोलैंड के अलावा अन्य आयात नगण्य हैं और इसलिए, उनका उपयोग सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है।

iii. पोलैंड से अधिकांश आयात आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा दीर्घकालिक समझौते के तहत किया जाता है। इसलिए, ऐसी कीमत प्रभावित होती है और मांग-आपूर्ति सिद्धांतों पर आधारित नहीं होती है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद कई अलग-अलग संहिताओं के तहत आयात किया गया है और इसलिए, ऐसे देशों से अन्य देशों को निर्यात पर विचार नहीं किया जा सकता है।

iv. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में देय मूल्य पर निर्धारित किया गया है, जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

v. चूंकि अन्य देशों के स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए कीमत सूची या वाणिज्यिक चालान आवेदक के पास उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सामान्य मूल्य वैकल्पिक आधार पर निर्धारित किया गया है।

vi. निवल निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क, अंतर्देशीय मालभाड़ा, ऋण लागत और माल ढुलाई लागत के संबंध में समायोजन किए गए हैं।

vii. पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

71. धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

(क)समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

(ख) परंतु यह कि उदगम वाले देश से इतर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:

i. ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड

ii. चाइना रिसुन ग्रुप (हांगकांग) लिमिटेड, हांगकांग

iii. हांगकांग जिन्टेंग डेवलपमेंट लिमिटेड

iv. मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन, जापान

v. मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन आरटीएम जापान लिमिटेड

vi. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया

vii. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया

viii. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया

ix. रिसुन मार्केटिंग लिमिटेड

x. रिसुन मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड (जापान)

xi. रिसुन वेई शान इंजीनियरिंग (हैनान) लिमिटेड, चीन

1. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया

73. पीटी डेटियन कोकिंग इंडोनेशिया (पीटी डेटियन) ने जांच अवधि के दौरान भारत को सीधे विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात करने का दावा किया है।

74. प्राधिकारी ने 30 जुलाई 2025 के ईमेल के माध्यम से उत्पादक से पूरक जानकारी मांगी और 11 अगस्त 2025 तक का समय दिया। उत्पादक ने 27 अगस्त 2025 को आंशिक प्रतिक्रिया दी और 18 सितंबर 2025 को उसे पूरक किया। अपने पूरक में, प्राधिकारी ने विशेष रूप से वितरण चैनल के बारे में पूछताछ की और यह भी पूछा कि क्या चैनल का हिस्सा बनने वाले सभी निर्यातकों ने प्रतिक्रिया दी है। उत्पादक ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वितरण चैनल का हिस्सा बनने वाले सभी निर्यातकों ने प्रतिक्रिया दी है या नहीं। इसके अलावा, उत्पादक ने घोषणा की कि उसने केवल भारत को सीधे निर्यात किया है।

75. इसके बाद प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2025 को कुछ और प्रश्न पूछे, जिसमें नमूना चालान सहित अतिरिक्त जानकारी मांगी गई। प्राधिकारी ने प्रस्तुत चालान और परिशिष्ट 3ए में दिए गए ग्राहक विवरण की जाँच की। जानकारी के अवलोकन पर, प्राधिकारी ने पाया कि जिन ग्राहकों को पीटी डेटियन ने बेचा है, वे भारतीय संस्थाएँ नहीं हैं। इसके विपरीत, उपलब्ध कराए गए नमूना चालान और डीजी सिस्टम्स के आंकड़े दर्शाते हैं कि बताए गए ग्राहक वास्तव में *** में स्थित हैं।

76. इससे पता चलता है कि पीटी डेटियन ने घोषित रूप से संबद्ध वस्तुओं का भारत को सीधे निर्यात नहीं किया है। इसके विपरीत, विचाराधीन उत्पाद व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से भारत को निर्यात किया गया है। ऐसी स्थिति में, भारत को निर्यात के लिए वितरण का पूरा चैनल प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली में विशिष्ट निर्देश दिए गए थे जिनमें सलाह दी गई थी कि जहाँ निर्यात किसी निर्यातक के माध्यम से किया जाता है, निर्यातक को भाग-I और भाग-II के साथ-साथ परिशिष्ट 5 का उत्तर प्रस्तुत करना होगा। अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के बजाय, उत्पादक ने गलत घोषणा की है कि उसने केवल सीधे भारत को निर्यात किया है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा बार-बार पूछे जाने पर भी, उत्पादक ने प्राधिकारी के समक्ष सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।

77. इसके मद्देनजर, प्राधिकारी अनंतिम रूप से पाते हैं कि पीटी डेटियन द्वारा प्रस्तुत उत्तर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए पर्याप्त और सटीक जानकारी प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, भारत को निर्यात करने वाले ***% व्यापारियों ने इसमें भाग नहीं लिया है। इसलिए, प्राधिकारी ने उत्पादक के लिए अस्थायी रूप से कोई अलग शुल्क दर निर्धारित नहीं की है।

2. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया

78. पीटी किनरुई न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडोनेशिया ("पीटी किनरुई") ने दावा किया है कि उसने भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है, जिसमें से *** मीट्रिक टन सीधे निर्यात किया गया है। इसके अलावा, उत्पादक ने संबंधित व्यापारी, *** को भी संबंधित वस्तुएँ बेची हैं, जिसने अंततः संबंधित वस्तुएँ भारत को निर्यात की हैं।

पीटी किनरुई → भारत में असंबंधित ग्राहक
पीटी किनरुई → *** → भारत में असंबंधित ग्राहक

79. प्राधिकारी ने 30 जुलाई 2025 के ईमेल के माध्यम से उत्पादक से पूरक जानकारी मांगी और 11 अगस्त 2025 तक का समय दिया। उत्पादक ने 27 अगस्त 2025 को आंशिक उत्तर दिया और 18 सितंबर 2025 को उसे पूरक किया। अपने पूरक में, प्राधिकारी ने विशेष रूप से वितरण चैनल के बारे में पूछताछ की और यह भी पूछा कि क्या चैनल का हिस्सा बनने वाले सभी निर्यातकों ने उत्तर दिया है। उत्पादक ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि वितरण चैनल का हिस्सा बनने वाले सभी निर्यातकों ने उत्तर दिया है या नहीं। इसके अलावा, उत्पादक ने दोहराया कि उसने उपरोक्त वितरण चैनलों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया था।

80. इसके बाद, प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2025 को अतिरिक्त जानकारी मांगते हुए कुछ प्रश्न पूछे। प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रस्तुत जानकारी, प्रस्तुत बीजक और परिशिष्ट 3क में दिए गए ग्राहक विवरण की जांच की। सूचना के अवलोकन पर, प्राधिकारी ने पाया कि पीटी डेटियन ने जिन ग्राहकों को उत्पाद बेचे हैं, उनमें से कई भारतीय संस्थाएँ नहीं हैं। इसके विपरीत, उपलब्ध कराए गए नमूना चालान और डीजी सिस्टम्स के आँकड़े दर्शाते हैं कि बताए गए कई ग्राहक वास्तव में *** और *** जैसे अन्य देशों में स्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत को किए जाने वाले निर्यात में ऐसे व्यापारियों की हिस्सेदारी ***% से अधिक है।

81. इससे पता चलता है कि पीटी किनरुई ने न केवल घोषित रूप से, बल्कि सीधे और संबंधित व्यापारी के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके विपरीत, विचाराधीन उत्पाद का निर्यात व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से भी भारत को किया गया है। ऐसी स्थिति में, भारत को निर्यात के लिए वितरण का पूरा चैनल प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी ने नोट किया कि प्रश्नावली में विशिष्ट निर्देश दिए गए थे, जिसमें सलाह दी गई थी कि जहाँ निर्यात किसी निर्यातक के माध्यम से किया जाता है, निर्यातक को भाग-I और भाग-II के साथ-साथ परिशिष्ट 5 का उत्तर भी प्रस्तुत करना होगा। अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के बजाय, उत्पादक ने गलत घोषणा की है कि उसने केवल सीधे और संबंधित निर्यातक के माध्यम से ही भारत को निर्यात किया है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा बार-बार पूछताछ करने पर भी, उत्पादक ने प्राधिकारी के समक्ष सही और पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किए। इससे उत्पादक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।

82. इसके मद्देनजर, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह पाते हैं कि पीटी किनरुई द्वारा प्रस्तुत उत्तर, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए पर्याप्त और सटीक जानकारी प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, भारत को महत्वपूर्ण निर्यात करने वाले व्यापारियों ने इसमें भाग नहीं लिया है। इसलिए, प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से उत्पादक के लिए एक अलग शुल्क दर की अनुमति नहीं दी है।

3. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया

83. पीटी रिसुन वेई शान इंडोनेशिया ("रिसुन वेई शान") द्वारा दायर प्रतिक्रिया के अनुसार, उसने भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। उत्पादक ने विचाराधीन उत्पाद का सीधे भारत को निर्यात नहीं किया है। संबंधित वस्तुओं को भारत में निर्यात के लिए संबंधित संस्थाओं, अर्थात् ***, ***, *** और *** को बेचा गया है। *** ने संबंधित वस्तुओं को आगे असंबंधित व्यापारी, अर्थात् *** को बेचा, जिसने आगे *** को बेचा। रिसुन वेई शान द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं का अंतिम निर्यातक रिसुन एचके है।

रिसुन वेई शान → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबंधित ग्राहक

रिसुन वेई शान → *** → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबंधित ग्राहक

रिसुन वेई शान → *** → रिसुन एचके (संबंधित)→ भारत में असंबंधित ग्राहक

रिसुन वेई शान → *** → *** → रिसुन एचके (संबंधित) → भारत में असंबंधित ग्राहक

84. प्राधिकारी ने 30 जुलाई 2025 के ईमेल के माध्यम से उत्पादक से पूरक जानकारी मांगी और 11 अगस्त 2025 तक का समय दिया। अपने पूरक में, प्राधिकारी ने विशेष रूप से वितरण चैनल के बारे में पूछताछ की और यह भी पूछा कि क्या चैनल का हिस्सा बनने वाले सभी निर्यातकों ने कोई प्रतिक्रिया दी है। उत्पादक ने स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की कि वितरण चैनल का हिस्सा बनने वाले सभी निर्यातकों ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं। इसके अलावा, उत्पादक ने अपने इस दावे को दोहराया कि उसने उपरोक्त वितरण चैनलों के माध्यम से भारत को निर्यात किया था। इसके बाद प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2025 को अतिरिक्त जानकारी मांगते हुए कुछ और प्रश्न पूछे। इसलिए, उत्पादक के अनुसार, भारत में सभी निर्यात रिसुन एचके के माध्यम से, भारत में असंबंधित ग्राहकों को किए गए हैं।

85. प्राधिकारी ने उत्पादक द्वारा प्रस्तुत जानकारी और परिशिष्ट 3क में दिए गए ग्राहक विवरण की जाँच की और उसकी तुलना डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से की। सूचना के अवलोकन पर, प्राधिकारी ने पाया कि जिन ग्राहकों को रिसुन एचके ने उत्पाद बेचे हैं, उनमें से कई भारतीय संस्थाएँ नहीं हैं। इसके विपरीत, डीजी सिस्टम्स के आँकड़े दर्शाते हैं कि बताए गए कई ग्राहक वास्तव में ***, *** और *** अरब अमीरात जैसे अन्य देशों में स्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत को किए जाने वाले निर्यात में ऐसे व्यापारियों की हिस्सेदारी ***% से अधिक है।

86. इससे पता चलता है कि रिसुन वेई शान द्वारा उत्पादित माल न केवल रिसुन एचके के माध्यम से सीधे भारत में ग्राहकों को निर्यात किया गया है। इसके विपरीत, विचाराधीन उत्पाद व्यापारियों/निर्यातकों के माध्यम से भी भारत को निर्यात किया गया है। ऐसी स्थिति में, भारत को निर्यात के लिए वितरण का पूरा चैनल प्राधिकारी के समक्ष नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रश्नावली में विशिष्ट निर्देश दिए गए थे कि जहाँ निर्यात किसी निर्यातक के माध्यम से किया जाता है, निर्यातक को भाग-I और भाग-II के साथ-साथ परिशिष्ट 5 का उत्तर अवश्य देना होगा। आवश्यक जानकारी प्रदान करने के बजाय, उत्पादक ने यह दावा करने के लिए अपने वितरण चैनल की गलत घोषणा की है कि रिसुन एचके ने भारत में ग्राहक को निर्यात किया है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा बार-बार पूछताछ करने पर भी, उत्पादक और उसके संबंधितों ने प्राधिकारी के समक्ष सही और पूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किए।

87. यह भी नोट किया गया है कि परिशिष्ट 3क में, रिसुन एचके ने ग्राहकों के पूरे नाम नहीं दिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पहचानकर्ता, जो प्राधिकारी को यह पहचानने की अनुमति देते कि ग्राहक भारत में स्थित नहीं है, जैसे "***", "***", "***" और "***" को हटा दिया गया है। उदाहरण के लिए, *** स्थित "***" को बिक्री के लिए, "***" लिखा गया है। इसी प्रकार, *** स्थित "***" को की गई बिक्री को "***" को

की गई बिक्री के रूप में रिपोर्ट किया गया है। इससे उत्पादक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सत्यता पर संदेह होता है।

88. इसके मद्देनजर, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह पाते हैं कि रिसुन वेई शान द्वारा प्रस्तुत उत्तर, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए पर्याप्त और सटीक जानकारी प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, भारत को निर्यात करने वाले ***% से अधिक व्यापारियों ने इसमें भाग नहीं लिया है। इसलिए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से उत्पादक के लिए एक अलग शुल्क दर की अनुमति नहीं देते हैं।

4. ब्लूस्कोप लिमिटेड

89. ब्लूस्कोप लिमिटेड (ब्लूस्कोप) द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, उसने भारत को *** मीट्रिक टन निर्यात किया है, जिसमें से *** मीट्रिक टन सीधे निर्यात किया गया है। शेष निर्यात दो व्यापारियों, *** और *** के माध्यम से किया गया है।

ब्लूस्कोप → भारत में असंबंधित ग्राहक

ब्लूस्कोप → ***

ब्लूस्कोप → ***

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि ब्लूस्कोप लिमिटेड ने असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद की महत्वपूर्ण मात्रा, जो कुल मात्रा का लगभग *** है, का निर्यात किया है। असंबंधित व्यापारियों ने प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके वर्तमान जाँच में सहयोग नहीं किया है। चूँकि भारत को किए गए महत्वपूर्ण निर्यातों के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्राधिकारी अनंतिम रूप से पाते हैं कि उत्पादक को अलग-अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

5. मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन

91. मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन द्वारा दायर उत्तर के अनुसार, उसने विचाराधीन उत्पाद का *** मीट्रिक टन सीधे और अपने संबंधित व्यापारियों, अर्थात् *** के माध्यम से भारत को निर्यात किया है। बदले में, *** ने विचाराधीन उत्पाद को सीधे और एक संबंधित पक्ष, *** के माध्यम से भारत को निर्यात किया है। *** ने इसे आगे असंबंधित व्यापारी को पुनर्विक्रय किया, जिसने बदले में भारत को निर्यात किया।

मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन → *** → भारत में असंबंधित ग्राहक

मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन → *** → *** → भारत में असंबंधित ग्राहक

92. यद्यपि *** ने वर्तमान जाँच में भाग लिया है, *** ने कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की है और वर्तमान जाँच में सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ***% निर्यात *** द्वारा किया गया है, जो वर्तमान जाँच में भाग लेने में विफल रहा है। प्राधिकारी ने यह भी नोट किया है कि *** ने अपने उत्तर में मित्सुबिशी आरटीएम कॉर्पोरेशन की पुनर्विक्रय जानकारी प्रस्तुत की है। हालाँकि, यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्राधिकारी को संबंधित व्यापारी द्वारा भाग I और भाग II में अतिरिक्त जानकारी, जिसमें परिशिष्ट 5 भी शामिल है, प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है। प्राधिकारी के निर्देश स्पष्ट हैं कि "पीयूसी के निर्यात में शामिल किसी भी अन्य गैर-उत्पादक संबंधित इकाई को परिशिष्ट-5 के साथ भाग I और भाग II में उत्तर प्रस्तुत करना आवश्यक है।" इसके अलावा, *** ने बदले में उत्पाद को एक असंबंधित व्यापारिक इकाई को बेच दिया है, और भारत को सीधे निर्यात नहीं किया है। ऐसे असंबंधित व्यापारी ने भी प्राधिकारी के समक्ष सहयोग नहीं किया है। संबंधित पक्ष और अन्य व्यापारी द्वारा, आवश्यकतानुसार, पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करने में विफलता के मद्देनजर, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह पाता है कि उत्पादक को अलग-अलग पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

6. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

ऑस्ट्रेलिया के लिए सामान्य मूल्य

93. ब्लूस्कोप लिमिटेड को छोड़कर, किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है और न ही कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ब्लूस्कोप लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया को व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभों को जोड़कर, ऑस्ट्रेलिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्यात कीमत

94. ऑस्ट्रेलिया के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य

95. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

96. आवेदक ने चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(ए)(i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उनके उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि यदि प्रतिवादी चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं कि उनकी लागत और मूल्य संबंधी जानकारी बाजार-संचालित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध-। के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

97. वर्तमान मामले में, चीन के किसी भी उत्पादक ने कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत करके जाँच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध-। के पैराग्राफ 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया है:

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार

अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी । "

98. आवेदक ने दावा किया है कि किसी उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में बिक्री कीमत या लागत उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों में आयात की कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आयात विभिन्न संहिताओं के अंतर्गत आते हैं। भारत में आयात की कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका भारत में पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार, आवेदक ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने नियमों के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 में सूचीबद्ध आधारों के अलावा कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है जो सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बन सके। अतः, प्राधिकारी ने आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर, विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ के लिए विधिवत समायोजित, भारत में देय मूल्य के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

<u>चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत</u>

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। चीन जन.गण. के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>कोलंबिया के लिए सामान्य मूल्य</u>

100. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोलंबिया के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है। कोलंबिया के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इसलिए, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर कोलंबिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है, जिसमें विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ को शामिल करके

विधिवत समायोजन किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>कोलंबिया के लिए निर्यात मूल्य</u>

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोलंबिया के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया है। कोलंबिया के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य</u>

102. पीटी डेटियन, पीटी किनरुई और रिसुन वेई शान को छोड़कर, किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है और न ही कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उक्त तीनों उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं पर व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, विक्रय, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और उचित लाभ को जोड़कर, इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>इंडोनेशिया के लिए निर्यात मूल्य</u>

103. इंडोनेशिया के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>जापान के लिए सामान्य मूल्य</u>

104. मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन को छोड़कर, किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने वर्तमान जाँच में भाग नहीं लिया है और न ही कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मित्सुबिशी केमिकल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया पर व्यक्तिगत मार्जिन के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर जापान के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ को शामिल किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>जापान के लिए निर्यात मूल्य</u>

105. जापान के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

<u>रूस के लिए सामान्य मूल्य</u>

106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। रूस में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए, प्राधिकारी ने नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। इसलिए, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर रूस के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है, जिसमें विक्रय, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ को शामिल किया गया है। इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>रूस के लिए निर्यात कीमत</u>

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रूस के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। रूस के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

छ.4. पाटन मार्जिन

108. ऊपर दिए गए अनुसार निर्मित सामान्य मूल्य और निर्धारित निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, संबंधित देश के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन

क्र. सं.	उद्गम का देश	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन
		(अम.डॉ./ मी.ट.)	(अम.डॉ./ मी.ट.)	(अम.डॉ./ मी.ट.)	(%)	(Range)
क	आस्ट्रेलिया	***	***	***	***	15-25%
ख	चीन जन.गण.	***	***	***	***	55-65%
ग	कोलंबिया	***	***	***	***	30-40%
घ	इंडोनेशिया	***	***	***	***	30-40%
ड.	जापान	***	***	***	***	50-60%
च	रूस	***	***	***	***	55-65%

ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध

ज.1. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

109. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. जापान से आयातों का अन्य संबद्ध देशों, विशेष रूप से चीन और इंडोनेशिया के साथ संचयी मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि क्षति अवधि के दौरान जापान से आयातों में गिरावट आई है, यह अन्य संबद्ध देशों से आयातों की तुलना में बहुत कम है और इसकी कीमतें अधिक हैं।

ii. चूंकि निप्पॉन कोक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा उत्पादित उत्पाद उच्च गुणवत्ता के हैं और तकनीकी या व्यावसायिक दृष्टि से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित या अन्य संबद्ध देशों से आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते हैं, अत: जापान से आयातों का संचयी मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए।

iii. जबकि क्षमता, बिक्रियों की मात्रा और मूल्य में वृद्धि हुई है, अत: निर्यात बिक्रियों में गिरावट आई है। लाभप्रदता में गिरावट घरेलू उद्योग के निर्यातों में गिरावट आने के कारण है।

iv. क्षति अवधि के दौरान क्षमताओं में विस्तार होने के कारण घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

v. चूंकि आयातों की मात्रा में वृद्धि होने के साथ-साथ घरेलू बिक्रियों और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, अत: संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है।

vi. अधिकतर क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतें बिक्री लागत के अनुरूप रही हैं। अतः, यह संबद्ध देशों से आयात होने के कारण किसी कीमत क्षति के अभाव को दर्शाता है।

vii. भारत में आयात की कीमतें विचाराधीन उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों के आधार पर हैं।

viii. आवेदक ने क्षति अवधि के पहले के तीन वर्षों के लिए कीमतो में कटौती होने के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है।

ix. घरेलू उद्योग को कोई भी वास्तविक क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और घरेलू बिकियों में वृद्धि हुई है।

x. जिंदल कोक लिमिटेड ने महत्वपूर्ण लाभ मार्जिन और बेहतर क्षमता उपयोग होने के बारे में सूचित किया है।

xi. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट विचाराधीन उत्पाद की अपस्ट्रीम वेल्यू चेन में कीमतों में उतार-चढ़ाव आने के कारण से है।

xii. घरेलू उत्पाद की आपूर्ति ट्रकों के माध्यम से की जाती है जबकि आयात थोक शिपमेंट में आते हैं, अत: घरेलू आपूर्ति के समक्ष कतिपय चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं और घरेलू उद्योग को क्षति होती है।

xiii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आने का कारण क्षमता ममें विस्तार होना हो सकता है जिसके चलते क्षति अवधि के दौरान मूल्यह्रास और ब्याज लागत में वृद्धि हुई है।

xiv. भाटिया कोक एंड एनर्जी पर बैंकों के एक संघ को करीब 125.9 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान न कर पाने के चलते क्षति अवधि के दौरान दिवालियापन की कार्यवाही चल रही है।

xv. घरेलू उद्योग को हुई क्षति उनकी अपनी अक्षमताओं के कारण है, न कि संबद्ध देशों से आयात होने के कारण से है।

xvi. घरेलू उद्योग को यदि कोई क्षति हुई भी है, तो वह जापान के अलावा अन्य देशों से आयातों के कारण से है।

xvii. घरेलू उद्योग को क्षति होने का कारण एमएफएन शुल्क दरों में कमी और इंडोनेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एफटीए में टैरिफ उदारीकरण होना है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति केवल ऐसे देशों से आयातों के कारण से है।

xviii. घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत और क्षति के दावों का आकलन करते समय उच्च मूल्यह्रास और ब्याज लागत को समायोजित किया जाना चाहिए।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

110. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. वर्तमान मामले में आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उचित है क्योंकि संचयन की सभी शर्तें पूरी हो गई हैं।

ii. क्षति अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में निरपेक्ष संदर्भ में और साथ ही भारत में उत्पादन और खपत के संदर्भ में वृद्धि हुई है।

iii. भारत में होने वाले आयातों में अधिकांश हिस्सा संबद्ध आयातों का है।

iv. संबद्ध आयातों के चलते घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही हैं।

v. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के बिक्री की कीमत और बिक्री की लागत से कम है।

vi. यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री की कीमत दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन बिक्री की कीमत में घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत में वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि हुई है। इस प्रकार से, संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव आया है।

vii. यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है, फिर भी क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग, उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है।

viii. देश में घरेलू उद्योग के लिए अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए पर्याप्त मांग है, फिर भी घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है।

ix. संबद्ध देशों से आयातों की मांग में बाजार की हिस्सेदारी का आधा हिस्सा है। क्षति अवधि के दौरान भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सेदारी के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों में भी गिरावट आई है।

x. यहां तक कि घरेलू उद्योग ने लाभप्रदता से समझौता किया है और संबद्ध वस्तुओं की बिक्री नुकसान पर की है, लेकिन फिर भी घरेलू उद्योग के भंडार में वृद्धि हुई है।

xi. घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23 से नुकासान हुआ है। यद्यपि वर्ष 2023-24 और जांच अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कुल् वृद्धि हुई है, लेकिन पहुंच कीमतों में वृद्धि होने के साथ, यह वृद्धि एक लाभ के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

xii. जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नकदी हानि हुई है।

xiii. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

xiv. घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता में बाधा आई है क्योंकि उसे वर्ष2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि के दौरान वित्तीय हानि होने के साथ-साथ नकदी हानि भी हुई है।

xv. घरेलू उद्योग को हुई क्षति भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के चलते हुई है। किसी अन्य ज्ञात कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रतितर्कों की जांच की है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों के आधार पर है।

112. इस अनुरोध के संबंध में कि एक घरेलू उत्पादक पर दिवालियेपन की कार्यवाही चल रही है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि डीजीटीआर ऐसे मामलों के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार संगत प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

1. क्षति का संचयी मूल्यांकन

113. विश्व व्यापार संगठन करार के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुबंध II के पैरा (iii) में यह प्रावधान है कि यदि एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात की एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करते हैं कि:

i. प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, तो वहां सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयातों का सात प्रतिशत से अधिक है, और

ii. आयातित उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों और आयातित उत्पादों और समान घरेलू उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को देखते हुए आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।

114. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

i. भारत में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

ii. प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा कुल आयातों की मात्रा के 3% से अधिक है।

iii. आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से आयातों से न केवल प्रत्येक संबद्ध देश द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा हो रही है, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समान वस्तु के साथ भी प्रतिस्पर्धा हो रही है।

115. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर संचयी प्रभाव का आकलन करना उचित समझते हैं।

116. जापान से आयातों को संचयी रूप से कम किए जाने से संबंधित अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जापान से आयातों की मात्रा कुल आयातों की मात्रा के 3% से अधिक है, जापान में उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है और रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि ऐसे आयात अन्य संबद्ध देशों से आयातों या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि जापान के उत्पादकों ने यह कहा है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद उनके द्वारा निर्यात किए गए उत्पाद के समान वस्तु नहीं है, लेकिन प्राधिकारी ने इसे स्वीकार नहीं किया है क्योंकि रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग ने ऐसे उत्पादों के समान वस्तु का उत्पादन किया है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने सभी संबद्ध देशों से आयातों के संचयन पर विचार किया है।

2. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग/ स्पष्ट खपत का आकलन

117. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में उत्पादों की मांग या स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**जांच की अवधि**
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	मी. टन	10,97,894	11,75,972	12,56,387	12,07,083
कैप्टिव खपत	मी. टन	6,662	0	1,37,268	2,17,230
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	11,98,008	10,35,742	9,12,230	9,39,285

संबद्ध आयात	मी. टन	12,32,004	26,04,583	28,00,255	34,34,806
अन्य आयात	मी. टन	11,96,935	9,42,638	8,25,941	8,12,434
कुल मांग	मी. टन	47,31,503	57,58,934	59,32,081	66,10,837

118. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि समग्र क्षति अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि के दौरान यह सर्वाधिक थी।

ख. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा

119. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से हो या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष में हो, उल्लेखनीय रुप से वृद्धि हुई है। इसका विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में किया गया है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
संबद्ध आयात	मी. टन	12,32,004	26,04,583	28,00,255	34,34,806
ऑस्ट्रेलिया	मी. टन	1,16,925	2,96,324	1,69,401	1,36,749
चीन जन. गण.	मी. टन	1,24,044	9,44,638	6,80,467	7,39,508
कोलंबिया	मी. टन	5,28,332	5,55,586	5,67,205	3,61,969
इंडोनेशिया	मी. टन	69,932	2,53,672	8,59,057	17,52,886

जापान	मी. टन	3,45,603	3,80,420	2,63,742	2,19,726
रूस	मी. टन	47,168	1,73,944	2,60,383	2,23,968
अन्य आयात	मी. टन	11,96,935	9,42,638	8,25,941	8,12,434
कुल आयात	मी. टन	24,28,939	35,47,220	36,26,196	42,47,239
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
उत्पादन	%	50%	124%	140%	172%
खपत	%	26%	45%	47%	52%
कुल आयात	%	51%	73%	77%	81%

120. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में समग्र क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में 179% की वृद्धि हुई है।

ii. उत्पादन और खपत के संदर्भ में आयातों में भी क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। जांच की अवधि के दौरान भारत में खपत में संबद्ध आयातों का हिस्सा 52% है।

iii. जबकि आधार वर्ष के दौरान भारत में आयातों का 51% अंश संबद्ध आयातों में शामिल था, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की मात्रा दोगुनी से भी अधिक हो गई है। जांच की अवधि के दौरान भारत में आयातों का 81% अंश संबद्ध आयातों का हिस्सा है।

iv. मांग में वृद्धि की तुलना में संबद्ध आयातों में अधिक गति से वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारत में मांग में 40% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में 179% की वृद्धि हुई है।

121. इस अनुरोध के संबंध में कि आयातों में वृद्धि से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग की बिक्रियों में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू

उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं को हानि पर बेचा है। घरेलू उद्योग के मात्रात्मक मापदंडों में वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा लाभप्रदता से समझौता किए जाने के कारण हुई है।

3. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

122. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या कथित पाटित आयातों के कारण भारत में समान उत्पादों की कीमतों की तुलना में महत्वपूर्ण रुप से कीमत कटौती हुई है या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या कीमतों में वृद्धि होने से रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्यतः होती। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत दमन और कीमत दबाव यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

क. कीमत कटौती

123. कीमत कटौती के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

विवरण	इकाई	धनराशि
बिक्री कीमत	₹/ मी. टन	***
पहुंच कीमत	₹/ मी. टन	27,024
कीमत कटौती	₹/ मी. टन	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	रेंज	15-25%

124. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कीमतों में यह कटौती सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, बल्कि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम है।

ख. कीमत दबाव और कीमत मंदी

125. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों में कमी आ रही है और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करने के लिए है या कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य रूप से होती, क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों की तुलना नीचे दी गई है:

विवरण	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	₹/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	105	102
बिक्रियों की लागत	₹/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	124	122
पहुंच कीमत	₹/ मी. टन	32,618	37,733	28,916	27,024
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	89	83

126. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्ष 2022-23 में, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और गिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में हुई वृद्धि से कम थी। वर्ष 2022-23 में आयात कीमत में बिक्री लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत में कमी आई, लेकिन बिक्री कीमत में गिरावट घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में गिरावट से अधिक थी। जांच की अवधि के दौरान, बिक्री लागत और बिक्री कीमत में और अधिक गिरावट आई है। जांच की अवधि के दौरान पहुंच कीमत, बिक्री लागत और बिक्री कीमत से कम थी, जिससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि ये पहले से ही बिक्री लागत से कम थीं। समग्र आधार पर, जबकि क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में वृद्धि हुई है, बिक्री कीमत में वृद्धि, बिक्री लागत में वृद्धि से बहुत कम

है। इस प्रकार से, आयातों के चलते घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है और कीमत में वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा होती।

4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

127. नियमावली के अनुबंध II के अनुसार, क्षति का निर्धारण करने में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच शामिल होनी चाहिए। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामस्वरुप पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में, नियमावली के तहत यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें कि बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, वस्तुसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं।

128. विभिन्न तथ्यों और प्रस्तुत किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुनिष्ठ रूप से जांच की गई है।

क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

129. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री निम्नलिखित तालिका में दी गई है: -

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
क्षमता	मी. टन	31,61,750	33,48,531	34,38,531	36,16,031
उत्पादन	मी. टन	16,26,523	14,47,193	14,45,028	14,42,008
क्षमता उपयोग	%	51%	43%	42%	40%
घरेलू बिक्रियां	MT	10,97,894	11,75,972	12,56,387	12,07,083

130. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है, जबकि उत्पादन में गिरावट आई है।

ii. भारत में मांग घरेलू उद्योग की क्षमताओं से अधिक है और इसलिए, घरेलू उद्योग के लिए अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए मांग पर्याप्त है। फिर भी, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।

iii. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि उक्त वृद्धि केवल लाभप्रदता से समझौता किए जाने के कारण हुई है।

131. इस अनुरोध के संबंध में कि क्षमताओं में वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि न केवल क्षमता उपयोग में बल्कि घरेलू उद्योग के वास्तविक उत्पादन में भी गिरावट आई है। जबकि घरेलू उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि हुई है और भारत में मांग में भी वृद्धि हुई है, जबकि उत्पादन में गिरावट आई है। इस प्रकार, क्षमता उपयोग में गिरावट को क्षमताओं में वृद्धि के कारण से नहीं माना जा सकता है।

ख) बाजार हिस्सेदारी

132. घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों, संबद्ध आयातों और अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	23%	20%	23%	22%
अन्य भारतीय उत्पादन	%	25%	18%	15%	14%
संबद्ध आयात	%	26%	45%	47%	52%
अन्य आयात	%	25%	16%	14%	12%

133. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के साथ-साथ समग्र रूप से भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

ii. अन्य देशों से आयातों की हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है।

iii. मांग में संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, और संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सेदारी में आधा हिस्सा है। संबद्ध आयातों ने भारतीय उद्योग के साथ-साथ अन्य देशों से आयातों की बाजार हिस्सेदारी पर भी कब्ज़ा कर लिया है।

ग) वस्तुसूची

134. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वस्तुसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
प्रारंभिक स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
अंत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
औसत वस्तुसूची	मी. टन	1,04,260	1,64,201	2,19,746	1,99,085

135. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वस्तुसूची में वृद्धि हुई है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की हानि पर बिक्री की है और घरेलू उद्योग का उत्पादन कम हुआ है, फिर भी घरेलू उद्योग की वस्तुसूची में वृद्धि हुई है।

घ) लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकदी लाभ

136. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेशों पर प्रतिफल और नकदी लाभ नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं: -

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
बिक्रियों की लागत	₹/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	124	122
बिक्री कीमत	₹/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	125	105	102

प्रति इकाई लाभ/ (हानि)	₹/ मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(18)	(22)	(37)
कुल लाभ/ (हानि)	₹/ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(19)	(26)	(41)
नकदी लाभ	₹/ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(2)	(2)	(14)
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	% सूचीबद्ध	100	2	10	(10)

137. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय रुप से गिरावट आई है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2021-22 में लाभ अर्जित किया था, लेकिन उसके बाद उसे केवल हानि हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2022-23 के बाद घरेलू उद्योग की हानि वर्ष दर वर्ष बढ़ती गई है।

ii. यद्यपि घरेलू उद्योग हानि में बिक्री करते हुए अपनी बिक्री बढ़ाने में सक्षम रहा है, फिर भी घरेलू उद्योग की कुल हानि बढ़ गई है।

iii. नकदी लाभ में उल्लेखनीय रुप से गिरावट आई है और इस हद तक गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग को न केवल जांच की अवधि में, बल्कि 2022-23 और 2023-24 में भी नकदी हानि हुई है।

iv. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में भी यही प्रवृत्ति रही है। क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में उल्लेखनीय रुप से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

ड़) रोज़गार, उत्पादकता और मजदूरी

138. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोज़गार, उत्पादकता और मजदूरी नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	1,809	1,822	1,942	1,900
मजदूरी	₹/ लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	97	93
प्रतिदिन उत्पादकता	मी. टन/ दिन	4,647	4,135	4,129	5,341
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/ सं.	899	794	744	759

139. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसके साथ ही क्षमता में भी वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता तथा वेतन एवं मजदूरी में गिरावट आई है।

च) विकास

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
क्षमता	%	-	6%	3%	5%
उत्पादन	%	-	(11)%	(0.1)%	(0.2)%
घरेलू बिक्री	%	-	7%	7%	(4)%
लाभ/ हानि	%	-	(118)%	(23)%	(65)%
नकद लाभ	%	-	(102)%	(11)%	(495)%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-	(98)%	307%	(198)%

140. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि:

i. जांच की अवधि तक घरेलू उद्योग की क्षमता में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हुई है।

ii. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और घरेलू बिक्री सहित मात्रात्मक मापदंडों में गिरावट आई है।

iii. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों में वर्ष दर वर्ष गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि में वित्तीय और नकदी हानि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की हानि में वृद्धि हुई है और क्षति अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि देखने में आई है।

iv. नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में वर्ष 2022-23 में नकारात्मक वृद्धि देखने में आई है, तथापि, 2023-24 में इसमें सुधार हुआ। जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में एक बार फिर नकारात्मक वृद्धि देखी गई है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

141. चूंकि संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, अत: इससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है। इसके अलावा, आयातों की मात्रा घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत और बिक्री लागत से कम हैं। इससे घरेलू उद्योग को अपनी लागत से कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और नकदी हानि हुई है। संबद्ध आयातों के चलते घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है और कीमत वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा होती। अत:, प्राधिकारी का अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हैं।

ज) पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन

142. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

झ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

143. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि में वित्तीय और नकदी हानि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है। ऐसे मामले में, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

झ. क्षति मार्जिन की मात्रा

144. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध ।।। के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत, जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/ आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देशों से प्राप्त कीमत की तुलना करने के लिए क्षतिरहित कीमत को ध्यान में रखा गया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री, यूटिलिटी और उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या अनावर्ती व्यय नहीं लगाया गया है। नियमावली के अनुबंध ।।। में निर्धारित क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात, औसत निवल अचल संपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमत किया गया था और उसका पालन किया जा रहा है।

145. सहकारी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर किया गया है। संबद्ध देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।

146. उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित की गई पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है: -

क्र. सं	मूलता का देश	क्षतिरहित कीमत	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन
		(यूएसडी/ मी. टन)	(यूएसडी/ मी. टन)	(यूएसडी/ मी. टन)	(%)	(रेंज)
क	ऑस्ट्रेलिया	***	***	***	***	15-25%
ख	चीन जन. गण	***	***	***	***	25-35%
ग	कोलंबिया	***	***	***	***	25-35%
घ	इंडोनेशिया	***	***	***	***	15-25%

ड़	जापान	***	***	***	***	10-20%
च.	रूस	***	***	***	***	15-25%

ञ. गैर-आरोपण विश्लेषण और कारणात्मक संबंध

147. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के क्षति, मात्रा और कीमत संबंधी प्रभावों की मौजूदगी की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने यह जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति, नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक के कारण हो सकती है:

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

148. यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देशों के अलावा, केवल पोलैंड से ही आयात काफी मात्रा में हुआ है। तथापि, पोलैंड से आयात की कीमत संबद्ध देशों से आयात की कीमत से अधिक है। अतः, यह क्षति तीसरे देशों से हुए आयातों के कारण से नहीं है।

ख. मांग में संकुचन

149. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। अतः, मांग में किसी संकुचन के कारण क्षति नहीं मानी जा सकती।

ग. खपत की पद्धति

150. विचाराधीन उत्पाद की खपत की पद्धति में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे कि घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

घ. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

151. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की स्थितियां नहीं हैं जिनसे कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ड़. प्रौद्योगिकी में विकास

152. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके कारण कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

च. उत्पादकता

153. घरेलू उद्योग के उत्पादन में परिवर्तन के साथ ही घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी परिवर्तन आया है। अतः, क्षति उत्पादकता में गिरावट के कारण नहीं हो सकती।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

154. यहां उपरोक्त जांच की गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन के संबंध में है। अतः, हुई क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं माना जा सकता।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

155. हुई क्षति को कंपनी के अन्य उत्पादों के निष्पादन के कारण से नहीं माना जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु के संबंध में ही सूचना को पृथक करके उपलब्ध कराया है।

झ. कुछ संबद्ध देशों के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए)

156. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया और जापान के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार करारों के कारण एमएफएन शुल्क दरों में कमी के कारण हुई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से कम है। इस प्रकार से, क्षति केवल उन देशों से आयातों की कम कीमत के कारण नहीं है जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

157. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जांच अवधि से पहले ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी देशों से सीमा शुल्क न्यूनतम स्तर तक कम कर दिया गया था। घरेलू उद्योग 2021-22 में लाभदायक था, जब सीमा शुल्क जाँच अवधि के समान ही थे। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया का संबंध है, ऑस्ट्रेलिया से आयातों का पहुँच मूल्य अधिकांश देशों की तुलना में अधिक है, भले ही वह सीमा शुल्क के अधीन न हो।

ट. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मामले

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

158. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से विचाराधीन उत्पाद की कीमत में वृद्धि होगी, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योग की इनपुट लागत में वृद्धि होगी और इस्पात उत्पादकों की लाभप्रदता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार के स्तर में गिरावट आएगी।

ii. शुल्क लगाए लाने से घरेलू उद्योग अपनी परिचालन क्षमता में सुधार लाने और उन्नत तकनीकों को अपनाने से हतोत्साहित हो सकता है।

iii. भारत में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है और इसे पूरा करने के लिए आयात आवश्यक है।

iv. घरेलू उद्योग को पहले से ही लागू रक्षोपायों द्वारा संरक्षण प्राप्त है।

v. घरेलू उद्योग व्यापार सुधारात्मक जांच का दुरुपयोग कर रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग व्यापार सुधारात्मक उपायों पर अत्यधिक निर्भर है।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

159. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. सार्वजनिक हित का निर्धारण (क) समान वस्तु के घरेलू उत्पादक, (ख) उत्पाद के घरेलू उपभोक्ताओं, (ग) उत्पादक और उपभोक्ता दोनों उद्योगों में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों, और (घ) आम जनता के हितों के संबंध में किया जाना चाहिए।

ii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़गा, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि विगत में पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

iii. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव 1% से कम है।

iv. चूंकि पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम है, अत: इसे डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा वहन किए जाने की संभावना है और इसे उपयोगकर्ताओं पर नहीं डाला जाएगा।

v. डाउनस्ट्रीम उद्योग विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर अपने उत्पाद की कीमत में परिवर्तन नहीं करता है।

vi. घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों के कारण काफी क्षति का सामना करना पड़ा है, जिससे आगे किसी भी निवेश के लिए प्रतिकूल बाजार स्थितियां पैदा हुई हैं।

vii. भारतीय उद्योग के पास भारत में व्यापारिक मांग की सम्पूर्ण पूर्ति करने के लिए पर्याप्त क्षमताएं हैं।

viii. घरेलू उद्योग की वर्तमान क्षमताएं भारत में मांग से अधिक हैं, अत: शुल्क लगाए जाने से भारत में विचाराधीन उत्पाद की कमी नहीं होगी।

ix. भारत में पाटन के चलते कई उत्पादकों ने अपना परिचालन बंद कर दिया है। उत्पादकों को संचित वस्तुसूची के कारण क्षति का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने परिचालन को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

x. प्रमुख इस्पात निर्माताओं के पास कैप्टिव कोक ओवन संयंत्र हैं और विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर किसी भी उपाय का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

xi. डाउनस्ट्रीम उद्योग को भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और उपायों के तहत सुरक्षित और अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है।

xii. डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर संबद्ध वस्तुओं की तुलना में उच्च बुनियादी सीमा शुल्क लागू होता है।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

160. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथा से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की भरपाई करना है। पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य संबद्ध देशों से आयातों को मनमाने ढंग से कम करना नहीं है। बल्कि, यह समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के लागू रहने से भारत में उत्पाद के मूल्य स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, इस बात को नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के लागू होने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था संरक्षित रहेगी। प्रतिस्पर्धा को कम करने के बजाय, पाटनरोधी उपायों का लागू होना पाटन प्रथाओं के माध्यम से अनुचित लाभ अर्जित करने से रोकता है। यह उपभोक्ताओं की संबद्ध वस्तुओं के लिए व्यापक चयन तक पहुंच को सुरक्षित करता है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क निष्पक्ष व्यापार पद्धतियों में बाधा नहीं बल्कि सहायक हैं।

161. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों के साथ-साथ आयातों की पहुंच कीमत में भी उल्लेखनीय रुप से गिरावट आई है। विगत में कीमतें काफी अधिक थीं। चूंकि विगत में इतनी अधिक कीमतों के कारण डाउनस्ट्रीम उद्योग के कार्यनिष्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भी कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

162. जहां तक भारत में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर होने के संबंध में अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह गलत है। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, घरेलू उद्योग की क्षमता भारत में व्यापार की मांग से कहीं अधिक है। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में आयातों पर प्रतिबंध नहीं होता, फिर भी आयात बंद होने की स्थिति में भी, भारत में विचाराधीन उत्पाद की कोई कमी नहीं होगी।

विवरण	मात्रा (मी. टन)
भारत में मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	63,93,607
व्यापारी उत्पादकों की कुल भारतीय क्षमता	67,15,931
मांग-आपूर्ति अंतराल (कैप्टिव को छोड़कर)	(3,22,324)

163. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकार्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाता हो कि विगत वर्षों में संबद्ध वस्तुओं की उच्च कीमतों के कारण उपयोगकर्ताओं की लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ा हो। किसी भी स्थिति में, रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव 1% से भी कम है।

विवरण	इकाई	राशि
घरेलू उद्योग की वर्तमान बिक्री कीमत	₹/ मी. टन	***
घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत	₹/ मी. टन	***
क्षतिरहित कीमत तक पहुंचने के लिए कीमत में वृद्धि	₹/ मी. टन	***
हॉट रोल्ड कॉइल स्टील की कीमत	₹/ मी. टन	63,959
प्रति मीट्रिक टन स्टील में मेट कोक की खपत	कि. ग्रा./ मी. टन	304
इस्पात उद्योग में कुल मांग में व्यापारिक उत्पादकों और आयातों का हिस्सा	%	10%
इस्पात उद्योग में प्रति मीट्रिक टन स्टील (मेट कोक के घरेलू उत्पादकों से खरीदा गया + आयात) में मेट कोक की खपत [*** कि. ग्रा./ मीट्रिक टन का ***%)	कि. ग्रा./ मी. टन	30
ग्राहक के लिए कीमत में वृद्धि	₹/ मी. टन	***
ग्राहक के लिए कीमत में वृद्धि	₹/ कि. ग्रा.	***
हॉट रोल्ड कॉइल स्टील में पाटनरोधी शुल्क के कारण कीमत में वृद्धि का हिस्सा	₹/ मी. टन	***

पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव	%	<0.15%

* 2.5 एमएम की होट रोल्ड कॉइल स्टील

164. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की प्रमुख खपत इस्पात उद्योग में होती है। तथापि, अधिकांश इस्पात उत्पादकों के पास कैप्टिव कोक ओवन संयंत्र हैं और वे संबद्ध वस्तुओं की बाजार कीमत में परिवर्तन से बचे रहते हैं। अतः, ऐसे उत्पादकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, चूंकि फेरो मिश्र धातु उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पाद को पहले ही इससे बाहर रखा जा चुका है, अत: फेरो मिश्र धातु उद्योग पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सेगमेंट	खपत				सेगमेंट-वार शेयर का %	
	सकल (केटी)	कैप्टिव (केटी)	मर्चेंट (केटी)	मर्चेंट का शेयर	समग्र	मर्चेंट
स्टील	34,147	30,522	3,625	11%	89%	54%
पिग आयरन	2,018	1,064	954	47%	5%	14%
जस्ता, सोडा ऐश और अन्य	736	0	736	100%	2%	11%
फेरो मिश्र धातु	525	0	525	100%	1%	8%
फाउंड्री	266	0	266	100%	1%	4%
अन्य	629	0	629	100%	2%	9%
कुल	38,320	31,586	6,734		100%	100%

165. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग को भारत सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता प्रदान की गई है। चूंकि घरेलू उद्योग को तीव्र क्षति हो रही है, इसलिए संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने वाले भारतीय उद्योग की स्थिति में भी सुधार किया जाना आवश्यक है।

166. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक व्यापार सुधारात्मक उपायों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पाद के पाटन के फलस्वरूप, विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर विगत में अनेक बार पाटनरोधी शुल्क लगाया जा चुका है।

प्राधिकारी ने पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की विस्तृत जांच की है और उसके बाद, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है। विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर उपायों की संख्या संबद्ध देशों में उत्पादकों के कीमत निर्धारण और अनुचित व्यापार व्यवहार को दर्शाती है।

167. इस अनुरोध के संबंध में कि लागू किए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों से घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दूर किया जाएगा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ऐसे उपाय अस्थायी प्रकृति के हैं। संबद्ध देशों के उत्पादकों ने अनुचित व्यापार व्यवहार किया है और जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया है। वर्तमान जांच में जांच की अवधि सुरक्षा जांच की सबसे हाल की अवधि के बाद की है। चूंकि भारत में अनुचित व्यवहार जारी रहा है, इसलिए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक है।

168. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में व्यापक पाटन होने के कारण कई उत्पादकों ने अपने परिचालन को बंद कर दिया है। *** को मजबूरन अपना परिचालन बंद करना पड़ा। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की वस्तुसूची में वृद्धि हुई है, तथापि उसने उत्पादन कम किया है और संबद्ध वस्तुओं की बिक्री हानि पर की है। यदि वर्तमान स्थिति जारी रहती है, तो अन्य उत्पादकों द्वारा भी अपना परिचालन बंद कर दिए जाने की संभावना है।

ठ. निष्कर्ष एवं सिफ़ारिशें

169. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मामलों की जांच करने तथा रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी का अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष हैं कि:

i. ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित लो ऐश मेटलर्जिकल कोक के खिलाफ पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए आवेदन, घरेलू उद्योग की ओर से इंडियन मैटलर्जिकल कोक मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया था। आवेदक एसोसिएशन के नौ सदस्यों ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

ii. विचाराधीन उत्पाद मैटलर्जिकल कोक है जिसमें राख की मात्रा 18% से कम है, जिसमें फेरोएलॉय के निर्माण में उपयोग किए जाने के लिए 0.030% तक फॉस्फोरस की मात्रा का ऐसा अल्ट्रा लो फॉस्फोरस मैटलर्जिकल कोक शामिल नहीं है, जिसका आकार 30 मिमी तक है और आकार सहिष्णुता 5% है।

iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अपवर्जन के अनुरोधों की जांच की गई है और प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से यह पाया है कि घरेलू उद्योग ने उन उत्पादों के समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री की है जिनके लिए अपवर्जन का अनुरोध किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य अपवर्जन पर विचार नहीं किया गया है।

iv. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन किया है।

v. जिन घरेलू उत्पादकों ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, वे भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा हैं। बंगाल एनर्जी लिमिटेड को छोड़कर किसी भी उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। भारत में उत्पादन, मांग और आयात की तुलना में बंगाल एनर्जी लिमिटेड के आयात महत्वपूर्ण नहीं हैं। कोई भी घरेलू उत्पादक संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबद्ध नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग गठित करने के योग्य माना है।

vi. जिंदल कोक लिमिटेड ने यह स्पष्ट किया है कि उसने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारत में विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। तदनुसार, इसे घरेलू उद्योग का एक हिस्सा माना गया है।

vii. सहकारी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अनंतिम रूप से निर्धारित की गई हैं। इसका सत्यापन किया जाना है।

viii. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन महत्वपूर्ण और न्यूनतम से ऊपर है।

ix. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है।

x. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी हो रही हैं।

xi. संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को कम किया है और कीमतों में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा हो सकती थी।

xii. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर ऐसे पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निम्नलिखित अनंतिम निष्कर्ष निकाले गए हैं:

क. घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि हुई है लेकिन उत्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई है।

ख. यद्यपि घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं की बिक्री हानि पर की है, लेकिन उसे उत्पादन कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ग. घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग का बाजार हिस्सा कम हो गया है, जबकि संबद्ध आयातों में वृद्धि हुई है।

घ. यद्यपि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है, लेकिन इस वृद्धि को संबद्ध आयातों ने हथिया लिया है।

ङ. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वस्तुसूची में वृद्धि हुई है। इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में कमी हो गया है और वह संबद्ध वस्तुओं की बिक्री हानि पर कर रहा है, वस्तुसूची में वृद्धि हुई है।

च. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय रुप से गिरावट आई है।

छ. घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान वित्तीय हानि होने के साथ-साथ नकदी हानि भी हई है।

ज. घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय रुप से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया है।

झ. घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

xiii. घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन होने के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

xiv. किसी अन्य ज्ञात कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है और घरेलू उद्योग को क्षति भारत में संबद्ध आयातों के पाटन के कारण हुई है।

xv. पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आम जनता के हित में है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाता है:

क. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारतीय उद्योग को उचित अवसर मिलेगा।

ख. विचाराधीन उत्पाद की कीमत पहले अधिक थी, जिसका उपयोगकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

ग. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव नगण्य है।

घ. प्रमुख बाजार सेगमेंट की पूर्ति कैप्टिव उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है, जो संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचे रहते हैं।

ङ. भारत में मांग व आपूर्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग की क्षमता भारत में सभी व्यापारिक मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

च. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि, नकदी हानि हुई है और नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल दर्ज किया गया है। ऐसे मामले में, बाजार की स्थितियां आगे निवेश के लिए अनुकूल नहीं हैं।

छ. भारत में विचाराधीन उत्पाद के पाटन के चलते कई उत्पादकों को शटडाउन का सामना करना पड़ा है।

170. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित कर दिया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की शुरुआत करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि जांच पूरी होने तक पाटन और क्षति की भरपाई के लिए अनंतिम शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। अतः, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

171. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो भी कम हो, उसके बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई धनराशि के समान अनंतिम पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण*	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2704 0010, 2704 0020, 2704 0030 एवं 2704 0090	लो ऐश मैटलर्जिकल कोक*	ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलिया सहित कोई भी देश	कोई भी	73.55	मी. टन	यूएस डॉलर
2	- वही -	- वही -	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण.,	ऑस्ट्रेलिया	कोई भी	73.55	मी. टन	यूएस डॉलर

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण*	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
			इंडोनेशिया, जापान और रूस के अलावा कोई भी देश					
3	- वही -	- वही -	चीन	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई भी	130.66	मी. टन	यूएस डॉलर
4	- वही -	- वही -	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	130.66	मी. टन	यूएस डॉलर
5	- वही -	-- वही -	कोलंबिया	कोलंबिया सहित कोई भी देश	कोई भी	119.51	मी. टन	यूएस डॉलर
6	- वही -	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस के अलावा कोई भी देश	कोलंबिया	कोई भी	119.51	मी. टन	यूएस डॉलर
8	- वही -	वही	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	कोई भी	82.75	मी. टन	यूएस डॉलर

क्र. सं.	शीर्ष	विवरण*	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
9	- वही -	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस के अलावा कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	82.75	मी. टन	यूएस डॉलर
10	- वही -	वही	जापान	जापान सहित कोई भी देश	कोई भी	60.87	मी. टन	यूएस डॉलर
11	- वही -	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस के अलावा कोई भी देश	जापान	कोई भी	60.87	मी. टन	यूएस डॉलर
12	- वही -	वही	रूस	रूस सहित कोई भी देश	कोई भी	85.12	मी. टन	यूएस डॉलर
13	- वही -	वही	ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, चीन जन. गण., इंडोनेशिया, जापान और रूस के अलावा कोई भी देश	रूस	कोई भी	85.12	मी. टन	यूएस डॉलर

* मैटलर्जिकल कोक जिसमें राख की मात्रा 18% से कम हो, जिसमें अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मैटलर्जिकल कोक शामिल नहीं है, जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा 0.030% तक हो, जिसका आकार 30 मिमी तक हो तथा जिसका आकार 5% सहनशीलता के साथ फेरोएलॉय विनिर्माण में उपयोग किया जा सके।

ड. आगे की प्रक्रिया

172. प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के बाद नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

i. प्राधिकारी इन जांच परिणामों के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन अनंतिम जांच परिणमों पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं और उन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत समझे जाने की सीमा तक, अंतिम जांच परिणामों में शामिल कर उन पर विचार किया जाएगा।

ii. प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को संबद्ध जांच के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए मौखिक सुनवाई का आयोजन करेंगे।

iii. मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (www.dgtr.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी।

iv. प्राधिकारी, आवश्यक समझे जाने पर हितबद्ध पक्षकारों का आगे सत्यापन करेंगे।

v. प्राधिकारी, संबद्ध जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी किए जाने से पूर्व, पाटनरोधी नियमावली के अनुसार आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करेंगे।

सिद्धार्थ

सिद्धार्थ महाजन
(निर्दिष्ट प्राधिकारी)

अनुबंध 1

<u>विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं की सूची</u>

1. अभिजीत फेरोटेक लिमिटेड
2. आकाश कोक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3. अंजनेय फेरो एलॉयज लिमिटेड
4. अनमोल इंडिया लिमिटेड
5. अरास इंटरनेशनल ट्रेडिंग
6. आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड
7. अरजस स्टील प्राइवेट लिमिटेड
8. आर्क फेरो एलॉयज लिमिटेड
9. आसनसोल एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
10. असम कार्बन प्रोडक्ट्स लिमिटेड
11. अतिबीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
12. एवन एडवांस्ड मैटेरियल्स कंपनी
13. एक्सिस बिजनेस
14. बागड़िया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड
15. बालासोर एलॉयज लिमिटेड
16. बेरी एलॉयज लिमिटेड
17. भूतेश्वर निर्माण प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
18. बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड
19. कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड
20. चावला इंटरनेशनल
21. केमट्रेड ग्लोबल इम्पेक्स एलएलपी
22. सिटी लिंक लॉजिस्टिक्स

23. डेक्कन फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड

24. डिजिटल वेव्स कंप्यूटर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

25. ई केमेक्स प्राइवेट लिमिटेड

26. इमर्जेंट इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड

27. एस्सेल माइंस एंड मिनरल्स

28. एक्सेरा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

29. फेकोर एलॉयज लिमिटेड

30. फ्लस्मिड्थ प्राइवेट लिमिटेड

31. फाउंड्री नीर्स

32. जीएचसीएल लिमिटेड

33. ग्लोबल रीसाइक्लिंग

34. ग्लोबल ट्रेड लिंक

35. गोयल धातु उद्योग प्राइवेट लिमिटेड

36. हरिअक्ष इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

37. हीरा इलेक्ट्रो स्मेल्टर्स लिमिटेड

38. हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड

39. हीरा पावर एंड स्टील्स लिमिटेड

40. हब इंटरनेशनल

41. इम्पेक्स मेटल एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड

42. इंडिया कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड

43. इंडियन मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड

44. इंटीग्रेटेड एएफआर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

45. जे डी बी कोक

46. जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

47. जैन नेचुरल रिसोर्सेज

48. जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड

49. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड

50. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड

51. जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड

52. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

53. केआईसी मेटालिक्स लिमिटेड

54. कल्याणी स्टील्स लिमिटेड

55. किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

56. केएमएस ट्रेडर्स

57. एलके श्री एंटरप्राइज एलएलपी

58. मद्रास कोल एंड कोक सप्लायर्स

59. महालक्ष्मी कॉन्टिनेंटल लिमिटेड

60. महालक्ष्मी एन्नोर कोक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड

61. महालक्ष्मी वेलमैन फ्यूल एलएलपी

62. मैथन एलॉयज लिमिटेड

63. एमडीए मिनरल धातु (एपी) प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

64. मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड

65. मोर अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड

66. एमपीएम-दुर्रांस रिफ्रैकोट प्राइवेट लिमिटेड

67. मुकुंद लिमिटेड

68. नारायणी रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड

69. नरसिंह इस्पात लिमिटेड

70. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड

71. नियो मेटालिक्स लिमिटेड

72. निरमा लिमिटेड

73. नोवा कार्बन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

74. उड़ीसा मेटालिक्स प्राइवेट लिमिटेड

75. ओसवाल मिनरल्स लिमिटेड

76. ओसवाल स्मेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

77. पैरागॉन ओवरसीज लिमिटेड

78. पैरागॉन पूर्वा लिमिटेड

79. पायनियर कार्बाइड प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

80. पोलो क्वीन इंडस्ट्रियल एंड फिनटेक लिमिटेड

81. पूजा स्क्रैप इंडस्ट्रीज

82. प्रकाश कमर्शियल

83. प्रशांत कोल एंड कोक सेल्स

84. पुष्पांजलि ट्रेडविन प्राइवेट लिमिटेड

85. रश्मि सीमेंट लिमिटेड

86. रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड

87. रिन्यूएरा एलएलपी

88. रोडियम फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड

89. रॉकफिट कॉर्पोरेशन

90. रोक्सुल रॉकवूल इंसुलेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

91. रॉयल मार्केटिंग

92. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

93. एस वी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड

94. संपत विनायक स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड

95. सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड

96. सारदा मेटल्स एंड अलॉयज लिमिटेड

97. सेवॉय इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

98. सीकेज़ प्राइवेट लिमिटेड

99. शार्प फेरो एलॉयज लिमिटेड

100. शिवन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड

101. शिवमणि एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

102. शिवकाशी ट्रेड वेंचर्स

103. श्रद्धा ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड

104. श्री भोले एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड

105. श्री जय बाबा ट्रेडिंग कंपनी

106. श्रीश्याम इंगोट एंड कास्टिंग्स (प्रा.) लिमिटेड

107. श्याम फेरो एलॉयज लिमिटेड

108. श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड

109. शिवम एलॉयज एंड फ्यूल्स एलएलपी

110. एसएलआर मेटालिक्स लिमिटेड

111. स्नम एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड

112. श्रीनाथजी एंटरप्राइजेज

113. श्री राघवेंद्र फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

114. श्रीकालहस्ती पाइप्स लिमिटेड

115. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

116. सुंदरम अलॉयज लिमिटेड

117. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड

118. सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड

119. सूर्या अलॉय इंडस्ट्रीज लिमिटेड

120. स्वाति कॉनकास्ट एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड

121. टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड

122. टाटा स्टील लिमिटेड

123. टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड

124. ट्रैफिगुरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

125. टफ मेटलर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड

126. उदय उद्योग

127. विधि इंडस्ट्रीज

128. विमला फ्यूल्स एंड एम्प मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

129. वीज़ा मिनमेटल लिमिटेड

130. विशाल एजेंसीज़

131. विवान ओवरसीज़

132. वेलस्पन मेटालिक्स लिमिटेड

133. विज़डम इंक.

134. युग अलॉयज़